

**मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/2013 से 12/2014**

भाग—एक

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23(2)ग(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा(ए)3-3/85-पार्ट-II, दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत, मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी बतौर मन्दिर अधिकारी माता श्री चिन्तपूर्णी में कार्यरत थे।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री अश्विनी रमेश	सहायक आयुक्त	01.1.2013 से 26.2.2013
2	श्री सुखदेव सिंह	सहायक आयुक्त	27.2.2013 से 22.1.2014
3	श्री अशोक चौहान	सहायक आयुक्त	22.1.2014 से 13.8.2014
4	श्री रामेश्वर दास	कार्यवाहक सहायक आयुक्त	13.8.2014 से 12.9.2014
5	डा० चिरंजी लाल	सहायक आयुक्त	12.9.2014 से 31.12.2014
6	श्री अवनीश शर्मा	मन्दिर अधिकारी	01.1.2013 से 27.2.2013
7	श्री सुभाष चौहान	मन्दिर अधिकारी	28.2.2013 से 31.12.2014

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितताओं का सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	श्री भुपेन्द्र सिंह, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.12 से ग्रेड पे गलत लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान करना	11(ग)	0.33
2	श्री बिहारी लाल, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे गलत तरीके से लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में गलत एवं अधिक भुगतान करना	11(घ)	0.33
3	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात् मन्दिर अधिकारी सहायक मन्दिर अधिकारी को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान करना	12(क)	4.92
4	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिला स्तर तथा उपमण्डल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान करना	12(ख)	0.26

5	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को मानदेय के रूप में अनियमित भुगतान करना	12(ग)	39.05
6	मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सुरक्षा कर्मियों (भूतपूर्व सैनिकों) होमगार्डस तथा सफाई संविदाकार के कर्मचारियों को मानदेय का अनियमित भुगतान करना	12(घ)	14.28
7	मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, होमगार्डस तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को त्यौहार उपहार के रूप में नगद राशि का अनियमित भुगतान करना	13	10.27
8	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में अनियमित भुगतान करना	14	3.00
9	पुजारियों/वारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की न मांगी गई राशि को सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखना	15	44.88
10	निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की कम कटौती करना	18	0.42
11	मापन पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियां किए बगैर ही अनियमित भुगतान करना	21	85.97
12	मैसर्ज जैन एण्ड एसोसियेट द्वारा मास्टर प्लान बनाने हेतु भुगतान के अनुपयोगी व्यय बारे	22	102.10
13	सुलभ शौचालय बनाने हेतु जमीन का क्रय अति उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई वित्तीय हानि के बारे में	23	22.50
14	अवधि 6.8.13 से 16.8.13 के नवरात्रों के दौरान मेला अधिकारियों को होटलों में ठहराने के एवज़ में अनियमित भुगतान करना	26	1.61
15	होमगार्ड व सिक्क्योरिटी गार्डों को ठहराने हेतु प्रत्येक वर्ष किराए की अदायगी करने बारे	27	3.36
16	सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को भुगतान की गई राशि बारे	34	21.03

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत अनुच्छेदों के निपटारे हेतु कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई। अतः लम्बित अनुच्छेदों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-“A”** पर दिया गया है।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी जिला ऊना के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी, श्री राज कुमार, अनुभाग अधिकारी, श्री जीवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री सुशील कुमार आर्टिकल असिस्टेंट द्वारा

दिनांक 14.9.2015 से 10.11.2015 के दौरान चिन्तपूर्णी में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/2013, 8/2014 तथा व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 8/2013, 1/2014 के लेखाओं का चयन किया गया।

“The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the Temple. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation and or non submission of information by the auditee.”

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अवधि 1/2013 से 12/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1,36,200 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु मन्दिर अधिकारी माता श्री चिन्तपूर्णी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास के अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-“I” पर भी दिया गया है।

Year	2013	2014
Opening Balance	65,19,84,645.16	71,43,94,330.74
Offering to deity cash	23,01,82,932.00	23,72,53,313.00
Interest Received & Accrued on deposits	4,35,59,799.00	8,92,26,461.00
Grant-in-aid from Govt if any	5,00,000.00	-
Other income	1,73,53,210.58	1,98,51,597.00
Grand Total	94,35,80,586.74	1,06,07,25,701.74
Expenditure during the year	22,91,86,256.00	20,58,22,335.00
Closing Balance	71,43,94,330.74	85,49,03,366.74

(ख) अन्तशेष का विवरण

दिनांक 31.12.2014 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष के रूप में ₹85,49,03,366.74 था तथा बैंक/डाकघर के बचत खातों में जमा राशि, सावधि जमा योजना के अन्तर्गत बैंकों में जमा

राशि तथा हस्तगत राशि के रूप में अन्तशेष की ₹90,01,82,121.38 थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

(i) बैंक/डाकघर बचत खाते में जमा राशि परिशिष्ट-“I-B”	13,87,35,194.38
(ii) सावधि जमा खाते में निवेश परिशिष्ट-“I-C”	76,13,43,136.00
(iii) हस्तगत राशि परिशिष्ट-“I-D”	1,03,791.00
योग	90,01,82,121.38

(ग) बैंक समाधान विवरणी

उक्त विवरणानुसार दिनांक 31.12.2014 को रोकड़ बही तथा बैंकों के अन्तशेष में ₹90,01,82,121.38—₹85,49,03,366.74=₹4,52,78,754.64 का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-“I-B” में संलग्न बैंक समाधान विवरणी में दिया गया है।

(घ) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि डाकघर के बचत खाता संख्या 276613 में मास 5/2006 से ₹37,547.05 जमा थी, परन्तु उक्त खाते पर ब्याज नहीं लगाया गया है। अतः ब्याज का मामला डाकघर से उठाया जाए तथा ब्याज के रूप में प्राप्त राशि को रोकड़ बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों के बारे में

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दिनांक 31.3.2014 तक ₹76,13,43,136 विभिन्न बैंकों में सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेशित की गई थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-“I-C” में दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इन सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों को परिपक्वता तिथि पर भुनाया जाना अथवा पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 गत तीन वर्षों में प्राप्त आय तथा आय की अनुपातिका के अनुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर किए गए व्यय के सन्दर्भ में

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार से आय अर्जित की गई।

क्रमांक	वर्ष	आय (चढ़ावा)
1	2012	22,42,29,162
2	2013	23,01,82,932
3	2014	23,72,53,313

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा दर्शाए गए विवरणानुसार कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य मदों पर आय की अनुपातिका के अनुसार किया गया व्यय निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत

विवरण परिशिष्ट-“II” पर भी दिया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आय की अनुपातिका के अनुसार इन मदों पर लगभग 11% से 13% तक प्रतिवर्ष व्यय किया गया है।

क्रमांक	वर्ष	आय (ब्याज सहित)	कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य सम्बन्धित मदों पर भुगतान राशि	प्रतिशतता
1	2013	29,10,95,941	3,78,61,140	13.00%
2	2014	34,63,31,371	4,04,13,536	11.16%

7 वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 तथा वर्ष 2014 में आय में कमी का पाया जाना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा वर्ष 2012 में चढ़ावे के रूप में ₹24,42,29,162 प्राप्त की गई थी। वर्ष 2013 में चढ़ावे के रूप में ₹23,01,82,932 तथा वर्ष 2014 में ₹23,72,53,313 प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2013 में ₹1,40,46,230 (₹24,42,29,162-₹23,01,82,932) तथा वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2014 में ₹69,75,849 (₹24,42,29,162-₹23,72,53,313) की कमी दर्ज की गई है। यह मामला मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के उच्चाधिकारियों के ध्यान में अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 192 से 194, दिनांक 4.11.2015 द्वारा लाया गया है तथा मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1614/15, दिनांक 9.11.2015 द्वारा सूचित किया है कि मन्दिर की आय मन्दिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर करती है।

8 20 कैनेडियन डॉलर बैंक में जमा न करवाना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा रसीद संख्या 275/052, दिनांक 3.5.2013 द्वारा श्री गौरव मनोहर चन्द से विदेशी मुद्रा के रूप में 20 कैनेडियन डॉलर प्राप्त किए गए थे, परन्तु इन डालरों को भारतीय करैन्सी में बदलने के लिए इन्हें बैंक में जमा नहीं करवाया गया था। तत्पश्चात अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने के उपरान्त इन्हें स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के खाता संख्या 11283610024 में दिनांक 21.10.2015 को जमा करवा दिया गया है।

9 सोना तथा चान्दी का विवरण

(क) सोना:— मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान सोने की स्थिति निम्न प्रकार से है:—

	1.1.2013 से 31.12.2013			
	किंगटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
गत शेष	1	62	387	859
प्राप्ति	—	06	118	990
कुल योग	1	68	506	849

	1.1.2014 से 31.12.2014			
	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
गत शेष	1	68	506	849
प्राप्ति	—	05	594	428
कुल योग	1	74	101	277

दिनांक 31.12.2014 को सोने के अन्तिम शेष का विवरण				
	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
राजकीय उपकोष अम्ब में जमा	1	070	805	277
माता के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त सोना	—	003	296	000
कुल योग	1	074	101	277

(ख) सोने की 2 ग्राम 400 मिलीग्राम मात्रा कम दर्ज करने बारे

(i) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सोने की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में 1 ग्राम 500 मिलीग्राम सोने की मात्रा कम दर्ज की गई है।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद संख्या	रसीदों में दर्ज मात्रा		चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज मात्रा		कम दर्ज मात्रा	
			ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
1	1.11.13	4498/62	001	900	000	900	001	000
2	25.9.14	4584/8	003	500	003	000	000	500
		योग	005	400	003	900	001	500

(ii) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी में निम्नानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा में से 500 मिलीग्राम मात्रा सम्बन्धित सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज की गई है।

दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पृष्ठ संख्या	चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा		स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सोने की मात्रा		कम दर्ज की गई मात्रा	
		ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
26.11.14	16317	006	500	006	000	000	500

(iii) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा माह अप्रैल 2013 में पृष्ठ संख्या: 354 पर दर्ज किए गए सोने की वास्तविक मात्रा के योग में निम्नानुसार 400 मिली ग्राम कम मात्रा दर्शाई गई है।

माह	वास्तविक मात्रा का योग		दर्शाई गई मात्रा का योग		कम दर्शाई गई मात्रा	
	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
4/2013	762	160	761	760	000	400

उपरोक्त क्रम संख्या: (i), (ii) व (iii) पर उल्लेखित 2 ग्राम 400 मिली ग्राम कम दर्ज की गई सोने की मात्रा की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत

करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई भी अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) चांदी:- मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा प्रस्तुत माता श्री चिन्तपूर्णी की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान चांदी की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

1.1.2013 से 31.12.2013				
	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
गत शेष	56	49	801	270
प्राप्ति	01	84	347	448
कुल योग	58	34	148	718
1.1.2014 से 31.12.2014				
	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
गत शेष	58	34	148	718
प्राप्ति	01	39	952	350
कुल योग	59	74	101	068

दिनांक 31.12.2014 को चांदी के अन्तिम शेष का विवरण				
	क्विंटल	किलोग्राम	ग्राम	मिली ग्राम
राजकीय उपकोश अम्ब में जमा	58	96	321	068
माता के श्रृंगार हेतु प्रयुक्त चांदी	—	36	863	000
वर्ष 2006 तक प्राप्त चांदी को पिघलाने के उपरान्त प्राप्त व्यर्थ पदार्थ जो कि राजकीय उपकोश अम्ब में जमा है।	—	40	917	000
कुल योग	59	74	101	068

(घ) चांदी की 100 ग्राम मात्रा कम दर्ज करने बारे

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त चांदी की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार 100 ग्राम चांदी की मात्रा कम दर्ज की गई है।

क्र० सं०	दिनांक	रसीद संख्या	रसीदों में दर्ज मात्रा		चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज मात्रा		कम दर्ज की गई मात्रा	
			ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम	ग्राम	मिलीग्राम
1	24.4.13	4447/24	049	000	009	000	040	000
2	28.0.13	4498/23	366	000	306	000	060	000
		योग	415	000	315	000	100	000

अतः उपरोक्त उल्लेखित 100 ग्राम कम दर्ज की गई चांदी की मात्रा की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ड़) माह मार्च 2013 को चांदी की मात्रा के अन्तिम शेष को माह अप्रैल 2013 के आरम्भिक शेष में 1 किलो, 17 ग्राम कम दर्शाना

जाँच के दौरान पाया गया कि सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या: 353 पर माह मार्च 2013 में चांदी के अन्तिम शेष 56 क्विंटल 84 किलो 903 ग्राम 270 मिलीग्राम की मात्रा के स्थान पर अप्रैल 2013 में चांदी का आरम्भिक शेष 56 क्विंटल 83 किलो 886 ग्राम 270 मिलीग्राम उठाने के कारण 1 किलो 17 ग्राम चांदी की कम मात्रा ली गई है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त कम दर्शाई गई चांदी की मात्रा को सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए अथवा इसकी वसूली प्रचलित बाजारिय मूल्य के अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 बजट

अंकेक्षणाधीन अवधि में मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा स्वीकृत बजट एवं किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है।

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2013	22,91,86,256	22,91,86,256	—
2014	26,31,29,000	20,58,22,335	5,37,06,665

11 स्थापना

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत पदों तथा कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट(iii)** पर संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी के आदेशों की प्रति जिसके माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत है अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसे आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा चालक का एक पद स्वीकृत संख्या से अधिक भरा गया है, जिसके बारे में नियमानुसार इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) श्री बुधी सिंह, मुख्य रसोइये की सेवा पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि उनकी सेवा निवृत्त की दिनांक 31.3.2016 हैं तथा उन्होंने 8 दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 7.12.2001 से 14.12.2001 तक व्यतीत किया था, परन्तु उक्त अवकाश की कटौती उनके अर्जित अवकाश खाते से नहीं की गई है, जिसकी कटौती करने के उपरान्त ही उनके अर्जित अवकाश नगदीकरण का भुगतान किया जाए।

(ग) श्री भुपेन्द्र सिंह, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे गलत तरीके से लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹32,673 का गलत एवं अधिक भुगतान करना

श्री भुपेन्द्र सिंह विद्युतकार को दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे की ₹1950 के स्थान पर ₹2400 देने के कारण उनको अवधि 1.10.2012 से 30.9.2015 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹32,673 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	अवधि	कुल माह	देय पे + ग्रेड पे	दी गई पे + ग्रेड पे	अन्तर	मंहगाई भत्ते की दर एवं राशि	वसूली योग्य राशि
1.	1.10.12 से 31.12.12	3	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@ 72%	324 2322
2.	1.1.13 से 30.6.13	6	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@ 80%	360 4860
3.	1.7.13 से 30.9.13	3	9180+1950=11130	9180+2400=11580	450	@ 90%	405 2565
4.	1.10.13 से 31.12.13	3	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@ 90%	414 2622
5.	1.1.14 से 30.6.14	6	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@ 100%	460 5520
6.	1.7.14 से 31.9.14	3	9520+1950=11470	9530+2400=11930	460	@ 107%	492 2856
7.	1.10.14 से 31.12.14	3	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@ 107%	503 2919
8.	1.1.15 से 30.6.15	6	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@ 113%	531 6006
9.	1.7.15 से 30.9.15	3	9870+1950=11820	9890+2400=12290	470	@ 113%	531 3003

कुल योग 32,673

(घ) श्री बिहारी लाल, विद्युतकार के वेतन में दिनांक 1.10.2012 से ग्रेड पे गलत तरीके से लगाने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹32,915 का गलत एवं अधिक भुगतान करना

श्री बिहारी लाल, विद्युतकार की सेवा पंजिका एवं व्यक्तिगत नस्ति की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को दिनांक 1.10.12 से ग्रेड पे ₹1950 के साथ ₹2400 देने के कारण उनको अवधि 1.10.12 से 30.9.15 के दौरान वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹32,915

का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र० सं०	अवधि	कुल माह	देय पे + ग्रेड पे	दी गई पे + ग्रेड पे	अन्तर	मंहगाई भत्ते की दर एवं राशि	वसूली योग्य राशि
1.	1.10.12 से 31.12.12	3	9480+1950=11430	9480+2400=11880	450	@ 72% 324	2322
2.	1.1.13 से 31.5.13	5	9480+1950=11430	9480+2400=11880	450	@ 80% 360	4050
3.	1.6.13 से 30.6.13	1	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@ 80% 368	828
4.	1.7.13 से 31.12.13	6	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@ 90% 414	5244
5.	1.1.14 से 30.5.14	5	9830+1950=11780	9840+2400=12240	460	@ 100% 460	4600
6.	1.6.14 से 30.6.14	1	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@ 100% 470	940
7.	1.7.14 से 31.12.14	6	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@ 107% 503	5838
8.	1.1.15 से 30.5.15	5	10190+1950=12140	10210+2400=12610	470	@ 113% 531	5005
9.	1.6.15 से 30.6.15	1	10560+1950=12510	10590+2400=12990	480	@ 113% 542	1022
10.	1.7.15 से 30.9.15	3	10560+1950=12510	10590+2400=12990	480	@ 113% 542	3066

कुल योग 32,915

(ड़) श्री छिन्दा राम, सफाई कर्मचारी को अवकाश के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ प्रदान करने के कारण उनको वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹1078 का अधिक एवं गलत भुगतान करना

श्री छिन्दा राम, सफाई सेवक दिनांक 8.6.2012 से 10.12.2012 के दौरान कुल 186 दिन तक अवकाश पर थे। उक्त कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1.10.2012 थी तथा वह 1.10.2012 को अवकाश पर थे, फलस्वरूप उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ कार्यग्रहण तिथि से प्रदान किया जाना अपेक्षित था, जबकि अवकाश पर होने के बावजूद भी उन्हें दिनांक 1.10.2012 से ही वार्षिक वेतन वृद्धि का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त कर्मचारी को

वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹1078 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है, जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए।

वार्षिक वेतन वृद्धि की देय तिथि 11.12.2012, दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 1.10.2012

अधिक एवं गलत भुगतान = वार्षिक वेतन वृद्धि + डी0ए0

माह अक्तूबर 2012 31 दिन 270 + 194 = 464

माह नवम्बर 2012 30 दिन 270 + 194 = 464

माह दिसम्बर 2012 10 दिन 464 / 31 x 10 = 150

कुल योग = 1078

(च) श्री कुलदीप कुमार, ड्राईवर के खाते में अर्द्धवेतन अवकाश शेष न होने के बावजूद भी उनको 40 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश प्रदान करना

श्री कुलदीप कुमार, ड्राईवर की सेवा पंजिका में अवकाश खाते की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी के खाते में दिनांक 1.7.2014 को 85 दिन का अर्जित अवकाश व 68 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश शेष था। उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 4.9.2014 से 27.10.2014 के दौरान 54 दिन x 2=108 दिन का पूर्ण वेतन सहित चिकित्सा (परिणित) अवकाश व्यतीत किया है, जबकि उन्हें अवकाश खाते में दिनांक 1.7.2014 को केवल 34 दिन का पूर्ण वेतन परिणित अर्थात् 68 दिन अर्द्धवेतन अवकाश शेष था, जिसके कारण उन्हें द्वारा 40 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश अर्थात् 20 दिन का पूर्ण वेतन सहित परिणित अवकाश अधिक व्यतीत किया गया है। अतः उक्त कर्मचारी के खाते में अर्द्धवेतन अवकाश शेष न होने के बावजूद भी 40 दिन का अर्द्धवेतन अवकाश अर्थात् 20 दिन का पूर्ण वेतन परिणित अवकाश स्वीकृत करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उन्हें संशोधित देय अवकाश ही स्वीकृत किया जाए अन्यथा अवकाश खाते में परिणित अवकाश शेष न होने के बावजूद व्यतीत किए गए 20 दिन के पूर्ण वेतन अवकाश अवधि के वेतन एवं भत्तों की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(छ) श्रीमती अंजू वाला, कनिष्ठ सहायक के अवकाश खाते में 11 दिन अर्जित अवकाश अधिक दर्शाना

श्रीमती अंजू वाला, कनिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका के अवकाश खाते की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी के अर्जित अवकाश खाते में दिनांक 31.12.2013 को 139 दिन अर्जित अवकाश शेष होना चाहिए था, जबकि दिनांक 31.12.2013 को उनके खाते में 150 दिन का अर्जित अवकाश शेष दर्शाया गया है। फलस्वरूप उक्त कर्मचारी के अवकाश खाते में 11 दिन का अधिक अर्जित अवकाश दर्शाया गया है। अतः इस सन्दर्भ में संस्था स्तर पर जाँच करने के उपरान्त उनके

अर्जित अवकाश खाते में आवश्यक संशोधन करने के उपरान्त अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा मानदेय का अनियमित रूप में भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा निम्नलिखित मामलों में मन्दिर की निधि से मानदेय का अनियमित रूप में भुगतान किया गया है।

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात् मन्दिर अधिकारी, सहायक मन्दिर अधिकारी को मानदेय के रूप में ₹4,91,587 का अनियमित भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 3(2) के अनुसार “The Government may from time to time appoint such officers and staff to assist the commissioner as it may deem fit.”। उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी के कार्यों का सुचारु रूप से संचालन के लिए श्री अवनीश कुमार शर्मा को जनवरी 2013 और फरवरी 2013 तक, श्री सुभाष चौहान को मार्च 2013 से दिसम्बर 2014 तक मन्दिर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा श्री जुगल किशोर को सहायक मन्दिर अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। श्री अवनीश कुमार शर्मा और श्री सुभाष चौहान राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा श्री जुगल किशोर भाषा एवं संस्कृति, हिमाचल प्रदेश से सम्बन्धित हैं। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मन्दिर अधिकारी तथा सहायक मन्दिर अधिकारी को वर्ष में लगने वाले मेलों के दौरान (वेतन+भत्ते) का 50% भाग मानदेय के रूप में भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मन्दिर अधिकारी को ₹2000 की दर से प्रतिमाह मानदेय का भी भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार इन अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्नविवरणानुसार ₹4,91,587 का अनियमित भुगतान किया गया है। उपरोक्त के सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि इन अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा मन्दिर कार्यों का संचालन करने के लिए ही की गई है तथा उनके द्वारा मन्दिर कार्यों के अतिरिक्त कोई भी विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार उनके द्वारा मन्दिर प्रबन्धन को दी गई सेवाएँ मात्र इनकी वैधानिक सेवा legitimate duties का निर्वाहन ही है। अतः इनको निम्नविवरणानुसार मानदेय के रूप में किए गए ₹4,91,587 के अनियमित भुगतान की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए क्योंकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल0सी0डी0-वी(2)9/94-1, दिनांक 21.12.2010 में भी यह वर्णित किया गया है कि “It has come to the notice of the Government that sum temple trusts are paying remuneration/honorarium to the government

officers/officials whereas there is no such provision of payment of remuneration/honorarium in the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1984. You are, therefore, requested that, if any, remuneration has been/ is being paid in contravention of the provisions of Act, ibid (as amended in 2007 & 2010 respectively), it will amount to audit objections, therefore, timely action for recovery be made from the concerned officers/officials of the Government deputed in the temple trust so as to avoid audit objections". अतः उक्त पत्र के अनुसार भी उन्हें मानदेय का भुगतान देय नहीं है।

क्र० सं०	वा० सं०	मास	मन्दिर अधिकारी	श्री जुगल किशोर सह० मन्दिर अधिकारी	श्री शेर सिंह चपड़ासी	कुल योग
1	श्री अवनीश शर्मा, मन्दिर अधिकारी, 1777	1 / 2013	22,369	17,166	11,008	50,542
2	(अवधि 1 / 13 से 2 / 13 तक ₹2000 प्रतिमाह की दर से 2 मास के लिए मानदेय का भुगतान) योग 26369		4,000	—	—	—
	श्री सुभाष चौहान, मन्दिर अधिकारी					
3	116	4 / 2013	21,552	18,782	11,627	51,961
4	735	8 / 2013	21,552	18,782	11,627	51,961
5	1199	10 / 2013	21,552	18,782	11,627	51,961
6	1672	1 / 2014	22,554	19,656	12,168	54,378
7	52	4 / 2014	26,087	21,735	13,233.50	60,696
8	656	8 / 2014	26,087	21,375	13,233	60,695
9	1077	10 / 2014	27,460	20,700	13,233	61,393
10	(अवधि 3 / 13 से 12 / 14 तक ₹2000 प्रतिमास की दर से 22 मास के लिए मानदेय का भुगतान)		44,000	—	—	44,000
		योग	2,10,844	1,56,618	97,756.50	4,91,587

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जिला स्तर तथा उपमण्डल स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹25,800 का अनियमित भुगतान करना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अवधि 1 / 2013 से 1 / 2014 के दौरान जिला स्तर तथा उप मण्डल स्तर के अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹25,800 भुगतान किया गया, जोकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल०सी०डी०—(बी)(2)9 / 94—1, दिनांक 21.12.2010 के अनुसार उन्हें देय नहीं है। अतः इसकी वसूली उनसे करनी सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम एवं कार्यालय	दर (मासिक)	अवधि	मानदेय राशि
1	श्री कमल नयन (उपायुक्त कार्यालय ऊना)	1600	13	20,800
2	डी०ए० ऊना (सैशन कोर्ट ऊना)	500	10	5,000
			योग	25,800

(ग) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा अपने कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹39,05,421 का अनियमित भुगतान करना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष के दौरान आयोजित होने वाले मेलों के लिए निम्न भुगतान वाचुचरों के अन्तर्गत मानदेय के रूप में ₹39,05,421 का अनियमित भुगतान किया गया है।

वाचुचर संख्या	मास	मानदेय की राशि
1787	1 / 2013	4,57,941.00
115	4 / 2013	4,73,846.00
734	8 / 2013	4,56,276.00
1198	10 / 2013	4,60,765.00
1671	1 / 2014	4,85,661.00
63(A)	4 / 2014	5,01,881.00
655	8 / 2014	5,19,225.00
1076	10 / 2014	5,40,070.00
368	6 / 2014	9,756.00
	कुल योग	39,05,421

इस सन्दर्भ में यह वर्णित किया जाता है कि मेलों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा मन्दिर न्यास की सुरक्षा हेतु पुलिस तथा होमगार्ड, राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारी तथा मन्दिर के लंगर, सफाई तथा अन्य कार्यों हेतु दैनिक दर पर अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त मन्दिर के दैनिक चढ़ावे की गिनती/गणना करने के लिए जिला भाषा अधिकारी एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाता है। अतः मन्दिर कर्मचारियों द्वारा इस अवधि के दौरान केवल अपने दैनिक वैधानिक कार्यों का ही निर्वाहन किया जाता है, जोकि इनके द्वारा कार्य विशेष न होकर इनका प्राथमिक वैधानिक कार्य है, जिसके लिए इनकी नियुक्ति की गई है। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा मूल नियम 46(बी) तथा इसी सन्दर्भ में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रोवेंस एण्ड पेंशन विभाग द्वारा पत्र संख्या: 17011/3/97 स्थापना (अलाऊंस) दिनांक 17.7.1998 के पैरा (1) के अनुसार “Honorarium should be paid only when the employees are entrusted with duties of a petty occasional nature and under no circumstance should any honorarium be paid for performing any functions that are legitimately part of one’s defined duties and responsibilities”. । इसी पत्र के पैरा (5) के अनुसार “It is also classified that amount of ₹5000, ₹2500 payable in

each case by the ministries/departments under the powers delegated to them vide this departments O.M. No. 17011/9/85 स्थापना (ए0एल) दिनांक 23.12.1985 refers to the total amount of honorarium, whether recurring on non recurring, that may be paid to an individual in a financial year”.। अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए जा रहे उपरोक्त मानदेय को केन्द्रीय सेवा नियम 46(बी) तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इन समस्त प्रकरणों में संलिप्त राशि की वसूली करके अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, हिमाचल प्रदेश के होमगार्डों तथा सफाई संविदाकार के कर्मचारियों को मानदेय के रूप में ₹14,28,000 का अनियमित भुगतान करना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा सुरक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों, हिमाचल प्रदेश के होमगार्डों तथा सफाई संविदाकार के कर्मचारियों को निम्न विवरणानुसार दिया गया मानदेय का भुगतान भी अनियमित है, जिसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, क्योंकि उप सचिव (भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: एल0सी0डी0-बी(2)9/94-1, दिनांक 21.12.2010 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार इन कर्मियों की मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

वाउचर संख्या	मास	मानदेय की राशि
1864	1 / 2013	1,60,000.00
1865	1 / 2013	1,96,000.00
1929	2 / 2013	2,00,000.00
139	4 / 2013	1,60,000.00
138	4 / 2013	1,38,000.00
380	6 / 2013	34,000.00
1201	10 / 2013	1,62,000.00
1259	10 / 2013	1,48,000.00
1284	11 / 2013	34,000.00
1669	1 / 2014	1,62,000.00
1670	1 / 2014	1,98,000.00
1722	1 / 2014	34,000.00
कुल योग		₹14,28,000.00

13 मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिक हिमाचल प्रदेश होमगार्डों तथा सफाई संविदाकार के कर्मियों को त्यौहार उपहार के रूप में नगद ₹10,27,500 का अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया मन्दिर प्रबन्धन समिति माता चिन्तपूर्णी द्वारा अपने स्थाई कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, भूतपूर्व सैनिकों हिमाचल प्रदेश के होमगार्डों तथा सफाई

संविदाकार के कर्मियों को दीवाली पर त्यौहार उपहार के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹10,27,500 का नगद भुगतान किया गया है। हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधित) अधिनियम 2007 के अनुसार इस प्रकार के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है और न ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार के नगर भुगतान करने का नियमों में कोई प्रावधान किया गया है। यह मामला मन्दिर अधिकारी के ध्यान में पत्र क्रमांक 181/2015, दिनांक 16.10.2015 द्वारा लाया गया है, परन्तु इस सन्दर्भ में उनके पत्र संख्या 1608/2015, दिनांक 9.11.2015 द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अनियमित रूप से किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इसकी वसूली उचित स्रोत से की जाए।

व0सं0	मास	स्थाई कर्मचारियों की संख्या	सुरक्षा कर्मियों, हि0प्र0 होम गार्ड तथा सफाई कर्मियों की संख्या	दर	राशि
1861	1/2013	—	80	1000	80,000
1862	1/2013	3	—	2500	7,500
1866	1/2013	—	67	1000	67,000
1867	1/2013	—	34	1000	34,000
1878	1/2013	58	—	2500	1,45,000
1275	11/2013	—	82	1000	82,000
1276	11/2013	3	—	2500	7,500
1277	11/2013	—	34	1000	34,000
1278	11/2013	—	65	1000	65,000
1279	11/2013	55	—	2500	1,37,500
1280	11/2013	—	14	1000	14,000
1198	10/2014	—	80	1000	80,000
1199	10/2014	—	95	1000	95,000
1200	10/2014	—	34	1000	34,000
1213	10/2014	58	—	2500	1,45,000
				कुल योग	₹10,27,500

14 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों की क्षतिपूर्ति के रूप में ₹3,00,000 का अनियमित भुगतान करना

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्युटी के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹3,00,000 का भुगतान भी किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों में इस प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। अतः नियमों के विरुद्ध किए गए भुगतान की राशि की वसूली शीघ्र की जाए।

वा0सं0	मास	नाम	राशि
1803	1/2013	श्रीमती अमृता कुमारी पत्नी स्वर्गीय श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवा निवृत्त)	10,000
1822	1/2013	श्रीमती सरला देवी पत्नी स्वर्गीय श्री विशम्बर	1,00,000
2049	2/2013	श्रीमती अनिता कुमारी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त)	20,000
2050	2/2013	कुमारी रिया सुपुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवा निवृत्त)	30,000
2051	2/2013	कुमारी प्रवीण सुपुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवा निवृत्त)	30,000
2052	2/2013	कुमारी मीना सुपुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त)	30,000
2053	2/2013	कुमारी साजल सुपुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह (सेवा निवृत्त)	30,000
730	8/2014	श्री केवल सिंह, लिपिक	50,000
कुल योग			3,00,000

15 पुजारियों/वारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की न मांगी गई ₹44,88,268 को सावधि के स्थान पर चालू खाते में रखना

(क) मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जो कि परिशिष्ट-(iv) पर संलग्न है, के अनुसार अंकेक्षणाधीन अवधि 1/2013 से 12/2014 के दौरान वारीदारों द्वारा पुजारी शेयरों की ₹1,17,36,432 नहीं मांगी गई थी। इस राशि में से ₹44,28,268 को प्रबन्धन समिति द्वारा बैंक के चालू खाते में रखा गया है तथा बैंक के नियमानुसार उक्त खाते पर ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार चालू खाते में राशि रखने पर ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि से वंचित होना पड़ा। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त खाते में पड़ी राशि को पूर्व वर्षों की भान्ति सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया जाए, जिससे उक्त खाते में जमा राशि पर ब्याज अर्जित किया जा सके।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार माननीय न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना में पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न मांगी गई कुछ राशियों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णा शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निम्न प्रकार से निवेश किया गया है। अतः माननीय न्यायालय का निर्णय आने पर इन सावधि योजना में जमा राशि तथा इन पर प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि के बारे में तदानुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0 सं0	सावधि जमा संख्या	अवधि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	ब्याज
1	31043293064	2.12.14 से 2.12.15	20,94,154	9%	22,89,085	1,94,931
2	31400364021	9.9.14 से 9.9.15	4,93,700	9%	5,39,655	45,955
3	31977159403	8.10.14 से 8.10.15	7,12,709	8.75%	7,77,147	64,438
4	32173559893	3.2.14 से 3.2.15	9,49,539	9%	10,37,925	88,386
5	32876316125	11.3.14 से 11.3.15	15,21,063	9%	16,62,649	1,41,586
6	33509070737	9.12.14 से 9.12.15	10,45,988	8.50%	11,37,771	91,783
7	34348756265	29.10.14 से 29.10.15	12,88,200	8.75%	14,04,670	1,16,470
8	30991422578	15.12.14 से 15.12.15	1,78,915	8.50%	1,94,614	15,699

9	31400379650	9.9.14 से 9.9.15	98,407	9%	1,07,567	9,160
10	3197160112	8.10.14 से 8.10.15	98,986	8.75%	1,07,936	8,950
11	32173557727	3.2.14 से 3.2.15	1,31,879	9%	1,44,155	12,276
12	32876312959	11.3.14 से 11.3.15	2,11,258	9%	2,30,923	19,665
13	33507636638	9.12.14 से 9.12.15	1,44,181	8.50%	1,56,833	12,652
14	30991424291	15.12.14 से 15.12.15	12,73,689	8.50%	13,85,453	1,11,764
15	34348739840	29.10.14 से 29.10.15	1,78,915	8.75%	1,95,091	16,176
16	31400368491	9.9.14 से 9.9.15	4,42,842	9%	4,84,063	41,221
17	31977152838	8.10.14 से 8.10.15	3,04,887	8.75%	3,32,453	27,566
18	32173557160	3.2.14 से 3.2.15	5,93,461	9%	6,48,702	55,241
19	32876305000	11.3.14 से 11.3.15	9,50,664	9%	10,39,155	88,491
20	33507679219	9.12.14 से 9.12.15	6,53,741	8.50%	7,11,105	57,364
21	34348750728	29.10.14 से 29.10.15	8,05,125	8.75%	8,77,919	72,794

16 पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न मांगी गई राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित करने बारे

उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पुजारियों द्वारा अपने हिस्से की न मांगी गई कुछ राशियों को मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निम्न प्रकार से निवेशित किया गया है। अतः सावधि जमा में निवेशित इन राशियों को परिपक्वता पर पुनः सावधि जमा योजना में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	सावधि जमा संख्या	अवधि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता राशि	ब्याज
1	39932944516	23.9.14 से 23.9.15	92,48,539	8.75%	1,00,84,729	8,36,190
2	30932942564	27.9.14 से 27.9.15	60,52,607	8.75%	65,99,843	5,47,236
3	33511309785	10.12.14 से 10.12.15	68,31,771	8.50%	74,31,245	5,99,474
4	33511310860	10.12.14 से 10.12.15	68,31,771	8.50%	74,31,245	5,99,474
5	34551550793	31.12.14 से 31.12.15	60,00,000	8.50%	65,26,488	5,26,488

17 पुजारी शेयरों की न मांगी गई सावधि योजना में जमा राशियों पर आयकर की ₹1,27,289 की कटौती करने बारे

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा पुजारी शेयरों की न मांगी गई कुछ राशियों को भारतीय स्टेट बैंक की चिन्तपूर्णी शाखा में सावधि जमा योजनाओं में निवेशित किया गया है, परन्तु निम्नविवरणानुसार बैंक द्वारा विभिन्न सावधि योजना में जमा राशियों की परिपक्वता पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर आयकर की कटौती करने के उपरान्त शेष राशि को पुनर्निवेशित किया गया है। इस सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को यह भी बताया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी को नियमानुसार आयकर विभाग से कर की छूट भी मिली हैं। अतः बैंक द्वारा

अनियमित रूप से काटे गए आयकर की ₹1,27,289 के मामले को सम्बन्धित बैंक से उठाया जाए तथा उक्त राशि की वसूली करके इसे मन्दिर निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र० सं०	सावधि जमा संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि	ब्याज दर	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	पुनः निवेशित राशि	अन्तर
1	30932944516	23.9.12	78,39,871	8.50%	23.9.13	85,27,804	84,60,964	66,840
2	30932942564	27.9.12	51,31,636	8.50%	27.9.13	55,81,927	55,37,187	44,740
3	31400364021	9.9.12	4,19,266	8.50%	9.9.13	4,56,056	4,52,764	3,292
4	31977159403	8.10.12	6,04,587	8.50%	8.10.13	6,57,638	6,52,017	5621
5	31400379650	9.9.12	83,571	8.50%	9.9.13	90,904	90,247	657
6	31977160112	8.10.12	83,970	8.50%	8.10.13	91,338	90,557	781
7	31400368491	9.9.12	3,76,076	8.50%	9.9.13	4,09,076	4,06,123	2,953
8	31977152838	8.10.12	2,58,634	8.50%	8.10.13	2,81,329	2,78,924	2,405
योग								₹1,27,289

18 निर्माण कार्य बिलों से बिक्री कर की ₹42,114 की कम कटौती करना

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(5)-1/2010-लूज, दिनांक 6.8.2012 के अनुसार श्रेणी-“सी” तथा “डी” संविदाकारों द्वारा निष्पादित किए गए निर्माण कार्य बिलों से 3% की दर से बिक्रीकर की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस बारे में मन्दिर अधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 163/2015, दिनांक 22.9.2015 द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया तथा मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या: TTC-Audit/2015-1381, दिनांक 1.10.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा श्रेणी-“डी” के संविदाकारों से 3% के स्थान पर 2% की दर से बिक्री कर की कटौती की गई है। परिणामस्वरूप इस सन्दर्भ में सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार बिक्री कर की कटौती न करने के कारण बिक्री कर की ₹42,114 की कटौती कम की गई, जिसका विवरण इस प्रकार से है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹42,114 की वसूली उचित स्रोत से करके यह राशि चालान द्वारा राजकोष में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

मापन पुस्तिक सं०	पृष्ठ सं०	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य का नाम	भुगतान	बिक्री कर कटौती 2%	बिक्री कर कटौती योग्य 3%	अन्तर
34	93 से 98	श्री जनक सिंह	Renovation of Yatri Bhawan Bharwain	4,40,436	8,808	13,213	4,405
38	71 से 73	श्री जनक सिंह	Red Stone on sides of step to talab Shiv Mandir	4,28,734	8,575	12,862	4,287

38	60	श्री जनक सिंह	Improvement of Steps to talab at Chintpurni from Jagdamba bhaba	1,83,248	3,665	5,497	1,832
38	80 से 82	श्री अश्विनी कुमार	Provision of Brass Railing on steps of talab from Sahot Sarai	8,08,146	16,163	22,244	6,081
38	75 से 80	श्री अश्विनी कुमार	Improvement of Yatri Bhawan	2,88,536	5,771	8,656	2,885
38	94 से 99	श्री जनक सिंह	C/o shed for five Tender of Tample	4,93,243	9,865	14,797	4,932
39	72 से 76	श्री रमेश चन्द	Repair of path main Bazar Sood shop to Tilk raj shop	1,52,226	3,045	4,567	1,522
39	91 से 94	श्री रमेश चन्द	Repair of Path main Bazar Tilk Raj Shop to Amritsar Bhaba	3,18,768	6,315	9,563	3,248
39	95 से 97	श्री रमेश चन्द	Repair of Path main Bazar Amritsar Dhaba to Rajpal Shop	2,22,537	4,450	6,676	2,226
40	3	श्री अश्विनी कुमार	Renovation of Lift Building	69,632	1,393	2,089	696
40	32	श्री अश्विनी कुमार	Painting Garbage Management	10,00,000	20,000	30,000	10,000

योग 42,114

19	निर्माण कार्य का नाम	Provision of bars railing on steps from Shah kot Sarai
	संविदाकार का नाम	श्री अश्विनी कुमार
	आबंटन पत्र संख्या	TTC 95/Dev-12, 2124/13, dated 23-5-2013
	बिल	प्रथम एवं अन्तिम बिल
	मापन पुस्तिका संख्या	38, पृष्ठ 80 से 82

(क) बिल्डिंग एण्ड अदर कन्सट्रक्शन वर्क्स (आर0ई0 एण्ड सी0एस) एक्ट 1996 एण्ड सैस एक्ट 1996 के हिमाचल प्रदेश में दिनांक 4.12.2008 से लागू होने के पश्चात संविदाकारों के निर्माण बिलों से 1% की दर से लेबर सैस की वसूली की जानी थी, परन्तु उक्त निर्माण कार्य जिसकी लागत ₹8,08,146 थी, से 1% की दर से लेबर सैस ₹8,081 की वसूली संविदाकार से नहीं की गई। अतः

इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹8,081 की वसूली उचित स्रोत से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) निर्माण कार्य की अनुमानित लागत ₹9.48 लाख थी तथा इस कार्य हेतु निविदाएं मंगवाने के लिए दिनांक 8.9.2012 को तीन समाचार पत्रों पंजाब केसरी, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल में विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार इस कार्य की निविदाएं दिनांक 26.9.2012 को खोली जानी थी, परन्तु tender opening register की जाँच करने पर पाया गया कि इस कार्य का नाम तो उक्त रजिस्टर के पृष्ठ-153 पर दर्ज किया गया था तथा न तो मदों के नाम तथा न ही संविदाकारों के नाम दर्ज किए गए थे, अपितु उक्त कार्य की निविदाएं tender opening register के पृष्ठ 181 पर खोली गई दर्शाई गई है। यद्यपि मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या: TTC-122071225/13, दिनांक 18.1.2013 द्वारा चार समाचार पत्रों पंजाब केसरी, अमर उजाला, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण में इस कार्य का विज्ञापन पुनः भेजा गया था, परन्तु विज्ञापन के समर्थन में किसी भी अखबार की दिनांक 18.1.2013 की प्रति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। अतः इस बारे वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाए।

20	Name of Work	Garbage waste Management & disposal system
	Sub Head	Retaining wall & land filling on bottom
	Name of Contractor	M/s Hari Om Traders
	Measurement Book	40 Page 31 & 32
	Work order No.	TTC-133/Dev.-14-1335/14, dated 26-11-14
	Estimated Cost	₹8,16,363
	Awarded Amount	₹9,71,482

उपरोक्त कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि सम्बन्धित ठेकेदार को P/L CC 1:3:6 की मात्रा का भुगतान करने से पूर्व P/F 100mm PVC Pipe for beep holes की मात्रा को कम नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार रिटेनिंग दीवार के कार्य की मद P/L CC 1:3:6 की मात्रा का भुगतान करने से पूर्व P/F 100mm PVC pipe for beep holes की मात्रा को कम करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना अनिवार्य था। अतः P/F 100mm dia PVC pipe for beep holes की मात्रा P/L CC 1:3:6 की मात्रा से कम न करने के कारण सम्बन्धित संविदाकार को उक्त कार्य हेतु ₹10,730 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया है। अतः अधिक एवं गलत भुगतान की गई ₹10,730 की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अधिक एवं गलत भुगतान का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	मद का विवरण	मात्रा	दर	मूल्य
1	Providing & laying Cement concrete in 1:3:6 Less: Quantity of providing & fixing 29m x .1=2.90m ³ 100mm PVC pipe for beep holes Net quantity to be paid wrong & Excess payment made to contractor	89.84 m ³ 86.94 m ³	3700	3,32,408 3,21,678
Excess Payment				10,730

21 माप पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ किए बगैर ही ₹85,96,876 का अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि सुलभ इन्टरनैशनल सोशल सर्विस संस्था चण्डीगढ़ को शौचालय निर्माण हेतु ₹85,96,876 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्रम संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	30.6.2014	22,92,500	कुल राशि ₹1,14,62,500 का 20% हिस्सा प्रथम किश्त
2	9.1.15	28,65,626	कुल राशि का 25% हिस्सा द्वितीय किश्त
3	26.8.2015	34,38,750	कुल राशि का 30% हिस्सा तृतीय किश्त

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धित संस्था को मन्दिर अधिकारी एवं संस्था के बीच 38 सीटड शौचालय के निर्माण हेतु अनुबन्ध के अनुसार किया गया है। अनुबन्ध की धारा 20 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि “The payment shall be made as per the assessment/work done as per site measured or recorded in measurement book by the engineer in charge.” अर्थात् उक्त संस्था को किसी भी राशि का भुगतान वास्तविक रूप में निष्पादित किए गए कार्य की माप पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ दर्ज करके मूल्यांकन करने के उपरान्त ही किया जाना अनिवार्य था, लेकिन मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी के सहायक अभियन्ता द्वारा न तो माप पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ दर्ज की गई है व न ही वास्तविक रूप में निष्पादित किए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया है तथा किसी रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियों एवं मूल्यांकन के बिना ही ₹85,96,876 के भुगतान की संस्तुति कर दी गई व तदनुसार ₹85,96,876 का भुगतान उपरोक्त उल्लेखित विवरणानुसार सम्बन्धित संस्था को किया गया है, जोकि पूर्णतया अनुबन्ध की शर्तों/धाराओं के विपरीत होने के साथ-साथ कार्य नियमों एवं वित्तीय नियमों की गम्भीर अवहेलना है। अतः माप पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ दर्ज न करने व वास्तविक रूप में निष्पादित किए गए कार्य का मूल्यांकन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा शेष राशि का भुगतान करने से पूर्व सम्पूर्ण निष्पादित किए गए वास्तविक कार्य की माप पुस्तिका में रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ दर्ज करके निष्पादित किए गए वास्तविक कार्य की प्रमात्रा का मूल्यांकन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए व तदोपरान्त ही शेष बची राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी

प्रकार के अधिक एवं गलत भुगतान को रोका जाना सम्भव हो सके। उक्त प्रकरण अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 78, दिनांक 22.9.2015 के माध्यम से मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: टी0टी0सी0-ऑडिट/2015/1379, दिनांक 1.10.2015 द्वारा आगामी भुगतान अनुबन्ध की धारा 20 की अनुपालना करने के उपरान्त ही करने हेतु आश्वासन दिया गया। क्योंकि पूर्व में भी किए गए भुगतान की ₹85,96,876 का मूल्यांकन एवं रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में अनुबन्ध की धारा 20 की शर्तों के अनुसार की जानी अनिवार्य थी, जोकि नहीं की गई। अतः यह प्रकरण मन्दिर प्रबन्धन समिति के उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय से लाया जाता है कि पूर्व में किए गए भुगतान का मूल्यांकन एवं रिकॉर्ड/मापन प्रविष्टियाँ माप पुस्तिका में करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अविलम्ब अवगत करवाया जाए।

22 मैसर्स जैन एण्ड एसोसियेट को मास्टर प्लान बनाने हेतु भुगतान की ₹1,02,10,113 के अनुपयोगी व्यय के बारे में

जाँच के दौरान पाया गया कि मैसर्स जैन एण्ड एसोसियेट आर्चिटेक्ट, गुडगांव को ₹1,02,10,113 का भुगतान चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास के मास्टर प्लान के अनुसार फेज-I, II & III की साईट के बहुउद्देश्य पार्किंग, संस्कृत विद्यालय व आवासीय कॉलोनी सम्मिलित थी, जिसमें की अपरेजल रिपोर्ट तैयार करने हेतु किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है।

क्रम संख्या	भुगतान की तिथि	स्वागत कक्ष व बहुउद्देश्य पार्किंग हेतु भुगतान	संस्कृत विद्यालय व आवासीय कॉलोनी हेतु भुगतान
1	1.4.2008	30,000	—
2	19.12.2008	8,00,000	1,40,000
3	26.3.2009	8,00,000	2,81,760
4	3.6.2009	14,41,050	2,79,765
5	14.7.2009	8,52,378	1,96,002
6	13.3.2010	8,21,839	1,16,289
7	25.9.2010	3,93,336	72,733
8	15.12.2010	4,53,373	31,588
9	25.4.2013	35,00,000	—
	योग	90,91,976	11,18,137

$$\text{कुल योग} = ₹90,91,976 + ₹11,18,137 = ₹1,02,10,113$$

इस सन्दर्भ में उप सचिव, भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: LCD-E(2)-15/2000, दिनांक 25.2.2010 द्वारा पार्किंग स्थल (बहुउद्देश्य) व स्वागत कक्ष के फेज-1, के कार्य करवाने हेतु ही प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया था, जबकि वास्तुकार जैन एण्ड एसोसियेट से फेज-I, II & III का प्राक्कलन एवं अनुमान तैयार करवाया गया, जोकि पूर्णतया अनियमित प्रतीत होता है, क्योंकि जब प्रशासनिक अनुमोदन केवल फेज-1 के कार्य हेतु दिया गया है, तब फेज-1

के कार्य हेतु ही प्राक्कलन एवं अनुमान तैयार करवाया जाना अपेक्षित था, परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन को नजर अन्दाज करते हुए फेज-II व फेज-III के कार्य का प्राक्कलन तथा इसकी साईट अपरेजल रिपोर्ट तैयार करने हेतु भी मैसर्ज जैन एण्ड एसोसियेट को भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मास्टर प्लान का प्राक्कलन एवं अनुमान तैयार करने हेतु वास्तुकार मैसर्ज जैन एण्ड एसोसियेट, गुडगांव को भुगतान की गई कुल ₹1,02,10,113 पूर्णतया अनुपयोगी व्यय प्रतीत होती है, क्योंकि वास्तविक रूप में जमीनी स्तर पर मास्टर प्लान में फेज-I से III तक सम्मिलित सम्पूर्ण कार्यों में से एक भी कार्य नाममात्र भी निष्पादित नहीं हुआ है। उक्त अनुपयोगी एवं व्यर्थ व्यय से सम्बन्धित प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 161, दिनांक 18.9.2015 के माध्यम से मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ स्पष्टीकरण हेतु लाया गया, जिसका प्रत्युत्तर उन्होंने पत्र संख्या: TTC-1380/15, दिनांक 1.10.2015 के अन्तर्गत अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया है, जोकि वास्तविक तथ्यों के विपरीत है एवं सन्तोषजनक नहीं है। अतः प्रशासनिक अनुमोदन न होने के बावजूद फेज-II & III के कार्य (संस्कृत विद्यालय व आवासीय कालौनी) के प्राक्कलन एवं अनुमान तैयार करने हेतु वास्तुकार श्री जैन एण्ड एसोसियेट किए भुगतान नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए।

23 सुलभ शौचालय बनाने हेतु जमीन का क्रय अति उच्च दरों पर करने के कारण मन्दिर न्यास को हुई ₹22,50,000 की वित्तीय हानि के बारे में

मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी द्वारा माह 5/2013 में श्री मंगत राम सुपुत्र श्री ब्रह्मानन्द निवासी ग्राम पंचायत छपरोह से खसरा नम्बर 2210 में विहित 10 मरला जमीन ₹4,25,000 प्रति मरला की दर से ₹42,50,000 में सुलभ शौचालय के निर्माण हेतु खरीदी गई, जबकि श्री कर्म सिंह सुपुत्र श्री राम चन्द निवासी ग्राम पंचायत नारी द्वारा दिनांक 20.3.2012 को लिखित रूप में आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश ऊना को आवेदन पत्र दिया गया था कि मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर शौचालय निर्माण हेतु जो जमीन ₹4,25,000 प्रति मरला की दर से क्रय की जा रही है, उसकी 100 मीटर की दूरी पर उसकी काफी जमीन है और वह ₹2,00,000 प्रति मरला की दर से जमीन मन्दिर न्यास को बेचने को तैयार है, परन्तु फिर भी मन्दिर न्यास द्वारा उक्त व्यक्ति की पेशकश को नजर अन्दाज करते हुए शौचालय हेतु 10 मरले जमीन का क्रय अति उच्च दरों पर अर्थात् ₹4,25,000 प्रति मरला की दर से कर लिया गया, जिसके फलस्वरूप मन्दिर न्यास को $(₹42,50,000 - 2,00,000 \times 10 = ₹22,50,000)$ की वित्तीय हानि हुई है। वित्तीय हानि का उक्त प्रकरण अंकेक्षण अध्याचना संख्या: 78, दिनांक 22.9.2015 के माध्यम से मन्दिर अधिकारी के समक्ष उठाया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियों का प्रत्युत्तर मांगा गया।

(i) श्री कर्म चन्द के आवेदन पत्र पर काबिले गौर कार्रवाई न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को हुई वित्तीय हानि का न्यायोचित ठहराते हुए औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ii) जिस जमीन का क्रय ₹4,25,000 प्रति मरला की दर से किया गया उसके क्रय करते समय उस जमीन की राजस्व विभाग के अभिलेखानुसार औसत कीमत प्रति मरला क्या थी ?

परन्तु मन्दिर अधिकारी द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक उपरोक्त उल्लेखित अंकेक्षण अभियुक्तियों का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। फलस्वरूप इस प्रकरण में स्वतः स्पष्ट है कि मन्दिर न्यास द्वारा कर्म चन्द के आवेदन पत्र पर काबिले गौर कार्रवाई न करने के कारण मन्दिर न्यास कोष को ₹22,50,000 की वित्तीय हानि हुई है। अतः अत्याधिक उच्च दरों पर जमीन का क्रय करने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 ग्राम पंचायत नारी, छपरोह, गगोट को विकास कार्यों हेतु दी गई अनुदान की राशि क्रमशः ₹48,73,952, ₹73,43,184 व ₹92,34,354 अर्थात् कुल ₹2,14,51,490 की वास्तविक की समीक्षा न करना

मन्दिर न्यास माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मन्दिर न्यास कोष से गत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत नारी, छपरोह व गगोट के प्रधानों को विभिन्न विकास कार्यों हेतु क्रमशः ₹48,73,952, ₹73,43,184 व ₹92,34,354 अनुदान के रूप में प्रदान की गई है। मन्दिर न्यास की बैठक जो कि दिनांक 15.10.14 को हुई है, के प्रस्ताव संख्या: 26 के अन्तर्गत एक उप समिति का गठन किया गया है, जिसके सदस्य निम्न प्रकार से हैं।

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना | अध्यक्ष |
| (2) | उप मण्डल अधिकारी अम्ब | सदस्य |
| (3) | अधिशायी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग भरवाई | सदस्य |

उपरोक्त उप समिति को दिशा निर्देश दिए गए थे कि पिछले 5 वर्षों में प्रधान ग्राम पंचायत नारी, छपरोह व गगोट को क्रमशः ₹48,73,952, ₹73,43,184 व ₹92,34,354 अर्थात् कुल ₹2,14,51,490, जोकि मन्दिर कोष की तरफ से विकास कार्यों हेतु दी गई थी, उससे सम्बन्धित कार्यों की छानबीन करके तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश की जाए कि जिस कार्य के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, वही कार्य हुआ है अथवा नहीं तथा जिस कार्य के लिए मन्दिर न्यास द्वारा राशि प्रदान की गई थी वहां पर बोर्ड इत्यादि लगाए गए हैं या नहीं, परन्तु उप समिति द्वारा उक्त विकास कार्यों हेतु प्रदान की गई राशि के प्रयोग की वास्तविकता की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। फलस्वरूप विकास कार्यों हेतु उक्त तीनों पंचायत प्रधानों को प्रदान की गई अनुदान की ₹2,14,51,940 के सदुपयोग की जांच सम्भव नहीं हो सकी। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई

करने के अतिरिक्त मन्दिर न्यास को परामर्श दिया जाता है कि पारदर्शिता बनाए रखने के प्रयोजन से, मन्दिर न्यास द्वारा आन्तरिक जांच करके ऐसे प्रकरणों में पंचायत प्रधान को विकास कार्यों हेतु राशि सीधे तौर पर प्रदान करने की बजाए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से दी जाए, ताकि विकास कार्यों की मापन प्रविष्टियां सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मापन पुस्तिका में दर्ज की जा सके, क्योंकि उक्त विकास कार्यों की सम्बन्धित पंचायतों द्वारा माप पुस्तिका में मापन प्रविष्टियां कभी भी दर्ज नहीं की गई है।

25 मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2013 व 2014 के दौरान विभिन्न विकास कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रदान की अनुदान की ₹30,45,800 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे

मन्दिर न्यास द्वारा मन्दिर न्यास कोष से वर्ष 2013 व 2014 के दौरान नजदीकी पंचायत प्रधानों को विभिन्न विकास कार्यों हेतु अनुदान की ₹30,45,800 प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है:-

क्र० सं०	दिनांक	सम्बन्धित पंचायत का नाम	अनुदान राशि	उद्देश्य
1	22.1.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	1,51,500	निर्माण रास्ता मेन रोड अशोक कुमार के घर से नगरियां वार्ड नम्बर 2 तक
2	22.1.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	3,74,925	निर्माण रास्ता बाऊन्डरी से प्रकाश चन्द के घर तक वार्ड नम्बर-1
3	11.5.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	1,95,258	निर्माण रास्ता मेन रोड मिरगू से डूहल वगवाला की बाऊन्डरी तक
4	11.5.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	49,996	निर्माण रास्ता मेन रोड अशोक कुमार के घर से नागरियों वार्ड नम्बर 2 तक
5	11.5.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	58,237	निर्माण रास्ता व डंगा नजदीक घर राजपाल कालिया से कृष्ण शर्मा वार्ड नम्बर 3
6	16.5.13	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	75,000	निर्माण सराये हरिजन बस्ती वार्ड नम्बर 4
7	16.5.13	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	3,67,050	निर्माण रास्ता व रिटेनिंग वाल चौक से पुशपिन्द्र सिंह के घर तक वार्ड नम्बर 3
8	12.10.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	66,974	निर्माण बाथरूम व हॉल नजदीक शिव मन्दिर वार्ड नम्बर-2, 3 व 4
9	12.10.13	प्रधान ग्राम पंचायत छपरोह	88,000	निर्माण रास्ता बाऊन्डरी से प्रकाश चन्द के घर तक वार्ड नम्बर-1
10	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	27,500	निर्माण रास्ता शिव मन्दिर बग्गी से तालाब तक
11	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	26,496	निर्माण रास्ता खड्ड से सुरजीत के घर तक

12	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	13,000	रेलिंग ब्रह्म दास के घर से तरसेम चन्द के घर तक
13	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	17,500	रेलिंग उत्तम चन्द के घर से रूप लाल के घर तक
14	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	7,512	मुरम्मत पानी निकासी नाली नियर कुन्दर गर्ग
15	14.12.13	प्रधान ग्राम पंचायत गंगोट	1,12,500	निर्माण रास्ता मेन रोड़ से जसवंत सिंह के घर के लिए
16	21.5.14	प्रधान ग्राम पंचायत चिन्तपूर्णी	3,00,000	नला की मुरम्मत नजदीक राजकीय वरिष्ठमाध्यमिक पाठशाला चिन्तपूर्णी
17	21.5.14	प्रधान ग्राम पंचायत चिन्तपूर्णी	65,087	निर्माण रास्ता व डंगा मेन रोड मिरगू से डूहल बगवाला की बाऊन्दरी तक
18	21.5.14	प्रधान ग्राम पंचायत चिन्तपूर्णी	74,415	निर्माण रास्ता व डंगा व रेलिंग नजदीक शिव मन्दिर से के0डी0 शर्मा के घर तक
19	11.6.14	प्रधान ग्राम पंचायत चिन्तपूर्णी	52,500	रास्ता बाई पास कूआ नजदीक घर रविन्द्र कालिया तक के कार्य
20	27.8.14	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	1,75,000	पक्का रास्ता चौक से बस्ती वैद्य ब्राह्मण की बावड़ी वार्ड नं0 1
21	27.8.14	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	1,22,350	निर्माण रास्ता व रिटेलिंग वाल चौक से पुशपिन्द्र के घर तक
22	1.9.14	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	3,00,000	सराय भवन बनाने की(प्रथम किस्त)
23	15.11.14	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	1,00,000	सराय भवन बनानेकी(द्वितीय किस्त)
24	18.12.14	प्रधान ग्राम पंचायत नारी	22,500	सराय भवन बनाने की(तृतीय किस्त)

कुल योग ₹32,45,800

उपरोक्त उल्लेखित विभिन्न विकास कार्यों हेतु विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों को प्रदान की गई अनुदान की ₹30,45,800 के वास्तविक व्यय एवं इस व्यय की पुष्टि हेतु कि यह राशि जिस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है, उसी कार्य पर खर्च की गई है, इससे सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक सत्यापन सहित प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे, जबकि मन्दिर न्यास द्वारा उपरोक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं ताकि स्वीकृत अनुदान से किए गए वास्तविक व्यय की जाँच सम्भव हो सके व यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान राशि उसी कार्य पर खर्च हुई है, जिस कार्य हेतु प्रदान की गई थी।

26 नवरात्रों के दौरान मेला अधिकारियों को अवधि 6.8.13 से 16.8.13 तक होटलों में ठहरने की एवज़ में ₹1,60,600 का अनियमित भुगतान करना

जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी द्वारा नवरात्रों के दौरान मेला अधिकारियों को अवधि 6.8.13 से 16.8.13 तक ठहरने हेतु विभिन्न होटलों में कमरे किराये पर लेने पर ₹1,60,600 का भुगतान किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

व0 सं0	दिनांक	होटल का नाम एवं पता	कमरों की संख्या	किराया प्रतिदिन	ठहराव अवधि	लग्जरी टैक्स	कुल भुगतान
763	23.8.13	हिमालयन होटल चिन्तपूर्णी	4	1000	10 दिन	4000	44,000
845	16.8.13	सचिन होटल चिन्तपूर्णी	6	1000	11 दिन	6600	72,600
762	23.8.13	जय मां होटल चिन्तपूर्णी	4	1000	10 दिन	4000	44,000

कुल भुगतान 1,60,600

मन्दिर न्यास बैठक जो कि अवधि 5.8.13 से 16.8.13 के दौरान लगने वाले नवरात्रों हेतु हुई थी के प्रस्ताव संख्या 7 के अन्तर्गत यह उल्लेखित किया गया है कि मेलों के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास हेतु गत वर्षों की भान्ति चिन्तपूर्णी में स्थित हर धर्मशाला/सराये से 2 व 3 कमरे व हाल लिया जाए न कि डीलक्स होटलों में कमरे किराये पर लिए जाएं, परन्तु उपरोक्त निर्णय के विपरीत अध्यक्ष मेलों के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ठहराव हेतु डीलक्स कमरों को किराये पर लेने पर ₹1,60,600 का अनियमित भुगतान किया गया है, जिसे नियमानुसार तथ्यों सहित न्यायोचित एवं तर्क संगत ठहराया जाए व सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके इसे नियमित करवाया जाए अन्यथा अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारण करके इस प्रकरण में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। यहां यह भी उल्लेखित करना नितांत अनिवार्य है कि मन्दिर न्यास के अपना सुसज्जित यात्री भवन है जिसमें 43 कमरे हैं। अतः अपव्यय रोकने के उद्देश्य से सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नवरात्र मेलों के दौरान सैक्टर अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को यात्री भवन में ठहराने हेतु भी विचार किया जाए।

27 होमगार्डों व सिक्योरिटी गार्डों को ठहराने हेतु प्रत्येक वर्ष ₹3,36,000 के किराए की अदायगी करने बारे

मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी में होमगार्ड व सिक्योरिटी गार्ड को ठहराने हेतु किराए के रूप में विभिन्न मकान मालिकों को निम्नविवरणानुसार वार्षिक ₹3,36,000 का भुगतान किया जा रहा है।

क्रम संख्या	मकान मालिक का नाम	किराए पर लेने की तिथि/माह	प्रतिमाह किराया	प्रतिवर्ष किराया	विवरण
1	श्री सतीश कुमार	1.2.2009	6,200		
		1.3.2010	10,000		सिक्योरिटी गार्ड हेतु
2	श्री किशोरी लाल	1.7.2014	9,000		होमगार्ड हेतु
3	श्री जनक राज	1.1.2012	9,000		सिक्योरिटी गार्ड हेतु
		योग	28,000		
	कुल योग		28000 x 12 = 3,36,000		

उपरोक्त भवनों को सिक्योरिटी गार्डों व होम गार्डों को ठहराने हेतु किराए पर लेने के कारण मन्दिर न्यास कोष पर प्रति वर्ष ₹3,36,000 वार्षिक बोझ पड़ रहा है। मन्दिर न्यास अधिनियमों एवं हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्त विन्यास अधिनियमों में सिक्योरिटी गार्डों व होम गार्डों को ठहराने हेतु किराए पर भवन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप जिन नियमों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त भवन सिक्योरिटी गार्डों व होम गार्डों के ठहरने हेतु किराए पर लिए गए हैं, उन्हें आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में उक्त प्रकार के अपव्यय को रोकने हेतु सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर न्यास के होम गार्डों व सिक्योरिटी गार्डों को ठहराने हेतु मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी के यात्री भवन का उपयोग करने पर भी विचार किया जाए ताकि अनावश्यक व्यय से परिहार किया जा सके। उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा होम गार्ड स्टाफ को ठहराने के लिए श्री रविन्द्र कालिया सुपुत्र मदन लाल चिन्तपूर्णी से सराए में लिए गए कमरे के माह 10/2014 के किराये की ₹9,000 का भुगतान वाऊचर संख्या: 1298/14, दिनांक 1.11.2014 के अन्तर्गत किया गया, परन्तु कमरा किराए पर लेने के लिए आयुक्त मन्दिर की अनुमति नहीं ली गई। अतः इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से अब कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

28 पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित करने हेतु न्यू बस स्टैंड पर ₹21,000 प्रतिमाह की दर से दो दुकानें किराए पर लेने बारे

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा न्यू बस स्टैंड पर पुलिस कन्ट्रोल रूम स्थापित करने हेतु दो दुकानें किराये पर लेने पर श्री प्रदीप शर्मा को प्रति माह ₹21,000 किराए का भुगतान किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप उक्त दुकानों के मालिक को अवधि 1.11.10 से 31.7.14 के दौरान 45 माह हेतु ₹9,45,000 का भुगतान किया गया है। उक्त किराए पर ली गई दुकानों हेतु यद्यपि मन्दिर न्यास द्वारा दिनांक 9.6.10 को प्रस्ताव संख्या 30 पारित किया गया था, तथापि आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश ऊना द्वारा दिनांक 24.2.15 को नस्ति पर टिप्पणी की है:— “This does not seem logical to hire premises @21000 P.M. on rent purely for H.P. Police to set up their Control Room. It is advisable not to review the contract, the police can make their own arrangement, if they deem necessary.”। अतः आयुक्त मन्दिर न्यास की उपरोक्त टिप्पणी से पुलिस विभाग को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में किसी भी भवन/दुकान को किराए पर लेने से पूर्व आयुक्त मन्दिर एवं जिलाधीश ऊना से स्वीकृति ली जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त यदि उक्त प्रकरण में जिलाधीश ऊना एवं आयुक्त मन्दिर से पूर्व में स्वीकृति नहीं ली है, तो इस प्रकरण में भी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा क्रय की गई ₹8,03,721 की दवाईयों को भण्डार रजिस्टर में दर्ज न करने बारे

मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मेले के दौरान निम्न विवरणानुसार दवाईयों का क्रय किया गया है, परन्तु दवाई को भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह दवाईयाँ एच0पी0 स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से क्रय न करके खुले बाजार से क्रय की गई हैं। इस बारे अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या: 180/2015, दिनांक 15.10.2015 द्वारा आपति उठाई गई, जिसके उत्तर में मन्दिर अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या: 1609/15, दिनांक 9.11.2015 द्वारा सूचित किया है कि मन्दिर न्यास की दिनांक 6.7.2013 की बैठक की मद संख्या: 5 में लिए गए निर्णय के अनुसार यह दवाईयां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊना तथा आयुर्वेदिक अधिकारी ऊना द्वारा क्रय की गई है तथा इन अधिकारियों से इस बारे सूचना मांगी है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध होने पर वस्तुस्थिति से इस विभाग को भी शीघ्र अवगत करवाया जाए।

वा0 सं0	मास/दिनांक	फर्म का नाम	राशि
39	10.4.2013	एच0पी0 स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन	47,460
171	2.5.2013	माँ चिन्तपूर्णी मैडिकल एजेंसी	65,446
926	6.9.2013	मै0 सुधांशु हर्बस मैहतपुर	19,998
927	6.9.2013	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	15,159
1044	27.9.2013	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	1,15,619
1112	8.10.2013	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	48,282
1159	16.10.2013	मै0 सुदर्शन हर्बस मैहतपुर	16,999
1160	16.10.2013	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	7,990
1867	17.2.2014	मै0 सुधांशु हर्बस मैहतपुर	4,851
1868	17.2.2014	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	2,339
47	9.4.2014	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी ऊना	9,821
129	25.4.2014	मै0 सुदर्शन हर्बस मैहतपुर	29,972
643	6.8.2014	मै0 जैन औषधि स्टोर ऊना	2,62,662
880	1.9.2014	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल स्टोर	35,096
881	1.9.2014	मै0 सुदर्शन हर्बस मैहतपुर	21,656
882	1.9.2014	मै0 कुमार मैडिसिन ट्रेडर्स अम्ब	13,230
1079	4.10.2014	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी	9,821
1080	4.10.2014	मै0 चढ़ा मैडिकल एण्ड जनरल एजेंसी	15,050
1081	4.10.2014	मै0 सुदर्शन हर्बस मैहतपुर	9,997
1082	4.10.2014	मै0 जैन औषधि स्टोर ऊना	52,273
योग			8,03,721

30 प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी के अनुमोदन के बिना भण्डार रजिस्ट्रों के पंखों को भण्डार से जारी करना

भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नानुसार श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में प्राप्त किए गए दीवार के पंखों को विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों को जारी किया गया है। इन

पंखों को जारी करने के लिए प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। अतः बिना अनुमोदन चढ़ावे के पंखों को जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम संख्या	दिनांक	विभाग/संस्था का नाम	पंखों की संख्या
1	20.2.2013	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर	4
2	3.4.2013	प्रभारी बी0एम0 गार्ड अम्ब	1
3	28.5.2013	नायब तहसीलदार प्रशिक्षार्थी अम्ब	2
4	5.6.2013	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दौलतपुर	3
5	26.6.2013	आंगनबाड़ी केन्द्र जाबल	1
6	8.7.2013	ग्राम पंचायत जाबल	1
7	10.7.2013	राजकीय उच्च विद्यालय त्यूड़ी	2
8	13.7.2013	प्रभारी होमगार्ड चिन्तपूर्णी	1
9	21.8.2013	पटवारी राजेन्द्र कुमार पटवार खाना बदौली	1
10	5.9.2013	आंगनबाड़ी केन्द्र समनोली	1
11	24.4.2014	गुरमेल सिंह फायरपोस्ट भरवाई	2
12	19.5.2014	प्रभारी होमगार्ड चिन्तपूर्णी	1
13	23.5.2014	राजकीय प्राथमिक पाठशाला खरोह	1
14	23.5.2014	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला खरोह	2
15	29.5.2014	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोई	3
16	2.6.2014	आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नं0 3 व 6 मोरपंगा	2
17	11.6.2014	राजकीय प्रारम्भिक पाठशाला अमोकलां	1
18	17.6.2014	पुलिस थाना चिन्तपूर्णी	3
19	30.6.2014	आंगनबाड़ी केन्द्र रेही छपरोह	2
योग			34

31 चढ़ावे के रूप में प्राप्त सामान को चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज करने से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी में निम्नविवरणानुसार रसीदों के अन्तर्गत प्राप्त सामान की मात्रा को दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	रसीद संख्या	सामान का विवरण	रसीद में दर्ज मात्रा	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	8.7.13	4467/67	छत वाला पंखा	01	शून्य	01
2	21.8.13	285/24	छत वाला पंखा	01	शून्य	01
3	5.8.14	4570/88	घी	5 कि0ग्रा0	4 कि0ग्रा0	1 कि0ग्रा0
4	16.8.14	4575/01	साड़ी	1	शून्य	01
5	16.8.14	4575/04	कम्बल	1	शून्य	01
6	16.8.14	4575/10	साड़ी	2	1	01
7	18.8.14	4575/59	चुनियां	25	शून्य	25

(ख) मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी में निम्नविवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में दर्ज की गई सामान की मात्रा के वास्तविक योग से मात्रा का योग कम दर्शाया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पेज संख्या	सामान का विवरण	दर्ज की गई मात्रा का वास्तविक योग	दर्शाया गया योग	कम दर्शाया गया योग
1	4.8.13	15651	सूट	13	11	2
2	7.8.13	15654	घड़ी	1	शून्य	01
3	7.8.13	15655	कपड़ा	6 मीटर	2 मीटर	4 मीटर
4	9.8.13	15659	घी	45 कि०ग्रा०	37 कि०ग्रा०	8 कि०ग्रा०
5	9.8.13	15658	धोती	1	शून्य	01
6	10.8.13	15661	घण्टी	3	1	2
7	11.8.13	15663	कमीज	3 पीस	2 पीस	01 पीस
			कपड़ा			
8	18.8.13	15676	पंखा छत वाला	1	शून्य	01
9	8.8.14	16189	सूट	29	28	01
10	29.8.14	16211	स्टील गड़वी	2	1	1

(ग) मन्दिर न्यास श्री चिन्तपूर्णी में निम्नविवरणानुसार दैनिक चढ़ावा रजिस्टर में सामान की मात्रा को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में कम दर्ज किया गया है।

क्र० सं०	दिनांक	दैनिक चढ़ावा रजिस्टर पेज संख्या	सामान का विवरण	दर्ज की गई मात्रा	स्टॉक रजिस्टर पेज सं०	स्टॉक रजिस्टर में दर्ज की गई मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	3.8.13	15650	दीवार घड़ी	1	267	शून्य	1
2	8.8.13	15657	लेडीज पजामी	2	81	शून्य	2
3	9.8.13	15659	लेडीज पजामी	1	81	शून्य	1
4	9.8.13	15659	स्वाटर/कोटी	2	170	1	1
5	11.8.13	15663	लेडीज कोटी	1	170	शून्य	1
6	12.8.13	15665	पजामी	2	81	शून्य	2
7	15.8.13	15671	तौलिए	3	69	1	2
8	15.8.13	15671	चम्मच	1	72	शून्य	1
9	20.8.13	15679	तौलिए	1	69	शून्य	1
10	20.8.13	15679	साड़ी	3	134	शून्य	3
11	24.8.13	15685	टी शर्ट	1	177	शून्य	1
12	25.8.13	15687	थाली	1	496	शून्य	1
13	1.8.14	16179	दीवार घड़ी	1	42	शून्य	01
14	3.8.14	16182	स्टील थालियां	2	1504	शून्य	2
15	8.8.14	16189	फराक	1	—	शून्य	1
16	8.8.14	16189	पजामी	1	81	शून्य	1
17	9.8.14	16190	गिलास	1	1458	शून्य	1
18	9.8.14	16190	टी-शर्ट	1	752	शून्य	1
19	16.8.14	16197	टी-शर्ट	2	752	1	1
20	17.8.14	16198	जग	1	392	शून्य	1
21	18.8.14	16201	कांसा कटोरी	1	—	शून्य	1
22	18.8.14	16201	तकिया	1	—	शून्य	1
23	26.8.14	16208	दीवार घड़ी	1	42	शून्य	1
24	30.8.14	16213	चटाई	1	—	शून्य	1

उपरोक्त क्रम संख्या: (क) (ख) व (ग) पर उल्लेखित कम दर्ज किए गए सामान को अंकेक्षण के दौरान ही मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, जिस पर मन्दिर अधिकारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस सामान को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों में दर्ज करवा दिया गया है व सामान को दर्ज करने की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान ही कर ली गई है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए।

32 बिजली के सामान को कम दर्ज करना

बिजली के सामान के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि मुख्य स्टॉक रजिस्टर से जारी की गई बिजली के सामान की विभिन्न मदों को बिजली के सामान के वितरण स्टॉक रजिस्टर में कम दर्ज किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र० सं०	दिनांक	मुख्य बिजली स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या	सामान का विवरण	जारी की गई मात्रा	बिजली सामान वितरण स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या	दर्ज की गई मात्रा	कम दर्ज की गई मात्रा
1	6.8.13	159	इग्नेटर 70 वॉट	6	71	5	1
2	11.8.13	46	ट्यूब रॉड 40 वॉट	4	1	शून्य	4
3	29.8.13	46	ट्यूब रॉड 40 वॉट	1	1	शून्य	1
4	29.8.13	50	चॉक 40 वॉट	2	11	शून्य	2
5	10.9.13	133	सी0एफ0एल0 18 वॉट	1	174	शून्य	1

अतः उपरोक्त उल्लेखित कम दर्ज की गई बिजली के सामान की मदों को सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त मदों को सम्बन्धित बिजली के सामान के वितरण रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

33 वाहनों तथा जेनरेटर के प्रयोग से सम्बन्धी अनियमितताएं

(क) अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 188/2015, दिनांक 30.10.2015 द्वारा मन्दिर अधिकारी, मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी से वाहनों की लॉग बुक, जिनका विवरण निम्नानुसार है, उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु वाहनों की लॉग बुक आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिन्हें आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	वाहन संख्या
1	HP-19B-2699
2	HP-20C-0004

(ख) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा वाऊचर संख्या: 1260 दिनांक 8.11.14 के अन्तर्गत टैक्सी नम्बर एच0पी0-01-यू-0335 के ड्राइवर श्री दीपक शर्मा को दिनांक 25.9.14 से 3.10.14 के दौरान मेला ड्यूटी हेतु 9 दिनों के लिए (9 x 1400 = ₹12600) का भुगतान किया गया दर्शाया है। उक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण अभियुक्तियां हैं।

(i) श्री दीपक शर्मा ड्राइवर द्वारा प्रदान की गई यात्रा दैनिकी के अनुसार उक्त वाहन का जिस अधिकारी द्वारा प्रयोग किया गया है उसका नाम एवं पद उल्लेखित नहीं है व न ही गाड़ी को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। अतः टैक्सी को प्रयोग करने से सम्बन्धित वांछित प्रमाण पत्र सत्यापनार्थ हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

(ii) उपरोक्त उल्लेखित टैक्सी को किराये पर लेने हेतु ₹1400 प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है, लेकिन उक्त दर/भुगतान को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाने सम्बन्धी आदेश अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किए गए। इस प्रकार उक्त भुगतान की गई दर/राशि के अनुमोदन की प्रति के अभाव में भुगतान की गई राशि को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की प्रति सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि कृत भुगतान का नियमन सम्भव हो सके।

(ग) मन्दिर प्रबन्धन समिति की गाड़ी नम्बर एच0पी0-19ए-8525 की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि लॉग बुक के पृष्ठ संख्या-51 पर माह 1/2014 में बकाया डीजल के अन्तिम शेष की मात्रा 59 लीटर को पृष्ठ संख्या 54 पर आरम्भिक शेष में 49 लीटर डीजल की मात्रा उठाने के कारण 10 लीटर डीजल कम मात्रा उठाई गई है। अतः उक्त 10 लीटर डीजल की मात्रा कम उठाने/दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा 10 लीटर डीजल के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा अन्तर्गत मैसर्ज चिन्तपूर्णी फिलिंग स्टेशन, चिन्तपूर्णी से बिल संख्या: 507, दिनांक 25.10.13 के अन्तर्गत गाड़ी नम्बर एच0पी0-19ए-8525 हेतु ₹52.08 प्रति लीटर की दर से 79 लीटर डीजल का क्रय किया गया दर्शाया है, लेकिन उक्त गाड़ी की लॉग बुक की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त 79 लीटर क्रय किए गए डीजल के स्थान पर लॉग बुक के पृष्ठ संख्या: 36 पर केवल 77 लीटर डीजल ही दर्ज किया गया है, फलस्वरूप 2

लीटर डीजल कम दर्ज किया गया है। अतः उक्त 2 लीटर डीजल कम दर्ज करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त 2 लीटर डीजल की मात्रा के वास्तविक मूल्य की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी कर्मचारी से करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) जाँच के दौरान पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा जेनरेटर के प्रयोग हेतु वास्तविक डीजल से 22 लीटर डीजल का अधिक प्रयोग किया गया दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(i) वास्तविक प्रयोग से अधिक प्रयोग दर्शाना

क्र० सं०	जेनरेटर डीजल स्टॉक रजिस्टर पेज सं०	दिनांक	जेनरेटर की पुरानी रिडिंग	दिनांक	जेनरेटर की नई रिडिंग	जेनरेटर जितने घंटे चला	दर्शाया गया समय	अधिक दर्शाया गया समय	प्रति घंटा डीजल खपत	अधिक डीजल की खपत
1	82	1.3.13	1161 घंटे	5.3.13	1162 घंटे	1 घंटा	2 घंटा	1 घंटा	6 लीटर	6 लीटर
2	84	22.7.13	1275 घंटे	28.7.13	1281 घंटे	6 घंटे	7 घंटे	1 घंटा	6 लीटर	6 लीटर
										योग 12 लीटर

(ii) वास्तविक शेष से कम शेष दर्शाना

क्र० सं०	जेनरेटर डीजल स्टॉक रजिस्टर पेज सं०	दिनांक	आरम्भिक शेष	खपत किया गया डीजल	वास्तविक शेष	दर्शाया गया शेष	कम दर्शाया गया शेष
1	91	14.9.14	208 लीटर	24 लीटर	184 लीटर	174 लीटर	10 लीटर

उक्त क्रम संख्या: (i) व (ii) में वर्णित 22 लीटर डीजल के प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 96, दिनांक 31.10.2015 के अन्तर्गत मन्दिर अधिकारी के ध्यानार्थ लाया गया, लेकिन उनके द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अतः उक्त 22 लीटर डीजल के वास्तविक मूल्य की वसूली करने के उपरान्त यह राशि मन्दिर कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

34 सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगढ़ को भुगतान की गई ₹21,03,000 के बारे में

मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अस्थाई शौचालयों का निर्माण प्रतिवर्ष करवाया जाता है। इस निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अत्यधिक राशि का भुगतान सुलभ इन्टरनेशनल चण्डीगढ़ को किया जाता है। अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के दौरान अस्थाई

शौचालयों के निर्माण करवाने के लिए सुलभ इन्टरनैशनल चण्डीगढ़ को ₹21,03,000 का भुगतान किया गया। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि माता श्री चिन्तपूर्णी के श्रद्धालुओं की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, परन्तु मन्दिर प्रबन्धन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु स्थाई शौचालय का प्रावधान नहीं किया गया है तथा प्रत्येक मेले के दौरान मात्र अस्थाई शौचालयों का निर्माण करवाकर अत्याधिक राशि का भुगतान किया जाता है। यदि मन्दिर प्रबन्धन द्वारा स्थाई शौचालयों का निर्माण करवाया जाता तो इससे एक ओर जहां श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त होती वहीं दूसरी ओर मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा मेलों के दौरान अस्थाई शौचालयों हेतु प्रतिवर्ष किए जा रहे लाखों रुपये के अनावश्यक भुगतान से भी बचा जा सकता था। अतः इस प्रकरण में मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा आन्तरिक जांच करके तदनुसार यथोचित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

35 हिमाचल प्रदेश विद्युत विभाग द्वारा बिजली के बिलों पर ₹47,334 के एम0सी0 चार्जिज लगाना तथा बिजली के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं

(क) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा माह 8/2013 व माह 11/2014 के दौरान भुगतान किए गए बिजली के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा निम्नानुसार एम0सी0 चार्जिज की ₹47,334 की वसूली की गई है। अतः यह मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा तदनुसार वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	वाऊचर संख्या	माह	मीटर संख्या	राशि
1	715	8/2013	जे0बी0-1-एस0एल0	432
2	715	8/2013	वाई0एन-13-एस0एल0	198
3	715	8/2013	वाई0पी0-25-एस0एल0	198
4	715	8/2013	वाई0पी0-7-एस0एल	324
5	715	8/2013	वी0एन0-518-एस0एल0	972
6	715	8/2013	वी0एल-673-एस0एल0	396
7	715	8/2013	आर0एस0-1-एस-एल0	192
8	715	8/2013	आर0एस0-28-एस0एल0	198
9	715	8/2013	आर0एस0-121-एस0एल0	540
10	715	8/2013	सी0पी0-2461-एस0एल0	576
11	715	8/2013	सी0पी0-2427-एस0एल0	810
12	715	8/2013	सी0पी0-979-एस0एल0	1218
13	715	8/2013	सी0पी0-1615-एस0एल0	162
14	715	8/2013	सी0पी0-1616-एस0एल0	360
15	715	8/2013	सी0पी0-1648-एस0एल0	558
16	715	8/2013	सी0पी0-1659-एस0एल0	252
17	715	8/2013	सी0पी0-1660-एस0एल0	216
18	716	8/2013	सी0पी0-3-1752-सी0	6750
19	716	8/2013	सी0पी0-3-1968-सी0	6930
20	716	8/2013	सी0पी0-3-956-एल0डी0	5400
21	1313	11/2014	सी0पी0-3-1968-सी	6240

22	1313	11/2014	सी0पी0-3-1752-सी	6000
23	1313	11/2014	सी0पी0-979-एस0एल0	1218
24	1313	11/2014	सी0पी0-1615-एस0एल0	162
25	1313	11/2014	सी0पी0-1616-एस0एल0	360
26	1313	11/2014	सी0पी0-1648-एस0एल0	558
27	1313	11/2014	सी0पी0-1659-एस0एल0	252
28	1313	11/2014	सी0पी0-1660-एस0एल0	216
29	1313	11/2014	सी0पी0-2461-एस0एल0	576
30	1314	11/2014	सी0पी0-3-2727-एस0एल0	810
31	1314	11/2014	बी0एन0-518-एस0एल0	972
32	1314	11/2014	बी0एन0-673-एस0एल0	396
33	1314	11/2014	आर0एस0-1-एस0एल0	192
34	1314	11/2014	आर0एस0-28-एस0एल0	198
35	1314	11/2014	आर0एस0-121-एस0एल0	540
36	1314	11/2014	जे0बी0-1-एस0एल0	432
37	1314	11/2014	वाई0एन-13-एस0एल0	198
38	1314	11/2014	बी0पी0-25-एस0एल0	198
39	1314	11/2014	वाई0वी0-7-एस0एल0	324
40	1314	11/2014	एम0एन0-6-एस0एल0	810

कुल योग 47,334

(ख) बिजली के बिलों की जाँच करने पर यह भी पाया गया कि माह 11/2014 के दौरान निम्न विवरणानुसार बिजली के बिलों की वास्तविक बिजली खपत से अधिक बिजली खपत की गई दर्शाई है।

क्र0 सं0	दिनांक	मीटर संख्या	पुरानी रीडिंग	नई रीडिंग	बिजली खपत यूनिट	दर्शाई गई खपत	अधिक दर्शाई गई बिजली खपत	भुगतान की गई राशि
1	20.11.14	सी0पी0-3-1968-सी	15540	17520	1980	2119	139	17045
2	20.11.14	सी0पी0-3-1752-सी	74310	76870	2560	2739	179	19953

अतः उपरोक्त उल्लेखित बिलों के अन्तर्गत अधिक दर्शाई गई बिजली के यूनिट की खपत का आगामी बिलों में समायोजन करवाने के उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) बिजली के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि माह 11/2014 के दौरान निम्नविवरणानुसार बिजली के बिलों का औसत खपत के आधार पर भुगतान किया गया है।

क्र0 सं0	दिनांक	मीटर संख्या	पुरानी रीडिंग	नई रीडिंग	खपत दर्शाई गई बिजली	भुगतान की गई राशि
1	20.11.14	सी0पी0-3-956-एन0डी0	100390	शून्य	—	28113
2	20.11.14	बी0एन0-518-एल-एल0	2680	शून्य	2100 यूनिट	18382
3	20.11.14	वाई0वी0-7-एल0एल0	28250	शून्य	1000 यूनिट	8659

अतः उपरोक्त उल्लेखित बिजली के मीटरों की बिजली विभाग से जाँच करवाने हेतु प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

36 रसीदें प्रस्तुत न करना

मन्दिर न्यास द्वारा रसीद संख्या 286/28, दिनांक 24.8.2013 के अन्तर्गत ₹20,000 विकास कार्यों हेतु प्राप्त की गई दर्शाई गई है, लेकिन उक्त रसीद वर्तमान अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत नहीं की गई। इस प्रकार रसीद के अभाव में उपरोक्त उल्लेखित प्राप्त की गई दर्शाई राशि की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः वांछित रसीद आगामी अंकेक्षण में सत्यापनार्थ हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि उपरोक्त उल्लेखित प्राप्त दर्शाई गई राशि की सत्यता की सत्यापना सम्भव हो सके।

37 माननीय न्यायालयों में लम्बित मामलों बारे

मन्दिर प्रबन्धन समिति के विभिन्न मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं, जिन्हें **परिशिष्ट-“V”** पर दर्शाया गया है। अतः इन मामलों में निर्णय होने पर तदनुसार कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए।

38 विविध अनियमितताएं

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना न करना:— मन्दिर प्रबन्धन समिति चिन्तपूर्णी द्वारा विभिन्न मदें क्रय करते समय हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 की अनुपालना नहीं की जा रही है। इस प्रकार लेखों में निम्न अनियमितताएं पाई गई।

(i) निविदाओं के बिना क्रय करना:— वित्तीय नियम 2009 के नियम 97(1) में प्रावधान है कि बिना निविदाएं बुलाए ₹3000 तक की मदों का क्रय किया जा सकता है, जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम सीमा ₹50000 होगी, परन्तु जांच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा बिना निविदाएं आमंत्रित किए ₹3000 तक की मदों का क्रय तो किया जा रहा है, परन्तु अभिलेख के अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि वित्तीय वर्ष के दौरान बिना निविदाएं बुलाए कुल कितना क्रय किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 97(1) के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। अतः वांछित अभिलेख अब तैयार किए जाएं तथा भविष्य में भी इसकी अनुपालना करनी सुनिश्चित की जाए।

(ii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 98 के अनुसार भी विभागाध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति (Local Purchase Committee) का गठन करके क्रय किया जा सकता है,

जिसके लिए प्रकार समिति द्वारा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त प्रमाण पत्र दिया जाना होता है, परन्तु जांच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा उक्त नियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है और न ही क्रय समिति से वांछित प्रमाण पत्र लिए जा रहे हैं। अतः इस प्रकार के समस्त क्रय बारे नियमानुसार स्थिति स्पष्ट की जाए।

(iii) वित्तीय नियम 2009 के नियम 103 के अनुसार उन सप्लायरों को अधिमान दिया जाना चाहिए जिनके डिपो हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं, परन्तु जांच में पाया गया कि मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा जालन्धर, होशियारपुर, फगवाड़ा तथा लुधियाना इत्यादि शहरों से उन मदों का क्रय किया जा रहा है जो कि हिमाचल प्रदेश में भी उपलब्ध हैं। इससे एक ओर तो मन्दिर के अधिकारियों/कर्मचारियों को बार-बार बाहर जाना पड़ता है वहीं दूसरी ओर मन्दिर के वाहनों का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना भी नहीं हो पा रही है। अतः नियमानुसार उन्हीं सप्लायरों को अधिमान दिया जाए, जिनके डिपो हिमाचल प्रदेश राज्य में हैं।

(iv) मन्दिर प्रबन्धन समिति द्वारा सप्लायरों तथा विभिन्न फर्मों को सामान्यतः राशियों अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है, परन्तु वित्तीय नियम 2009 के नियम 108(4) के अनुसार सप्लायरों तथा फर्मों से बैंक गारन्टी प्राप्त नहीं की जा रही है और न ही उन्हें उक्त नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अग्रिम प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त उक्त नियमों में मात्र 80% अग्रिम राशि दिए गए का ही प्रावधान है। अतः मन्दिर प्रबन्धन समिति के अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार जिन सप्लायरों अथवा फर्मों को अग्रिम भुगतान किए जाते हैं, उनसे बैंक गारन्टी ली जाए तथा नियमानुसार ही अग्रिम राशि जारी करना सुनिश्चित करें।

(ख) भण्डार रजिस्टर के रख-रखाव बारे:— मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी की भण्डार पंजिकाओं की जांच करने पर पाया गया कि अवधि 1/2013 से 12/2014 के दौरान क्रय की गई अथवा चढ़ावे के रूप में प्राप्त अनेक मदों का इन्द्राज अलग-अलग नए पृष्ठों पर दर्ज किया जा रहा है, जिस कारण किसी मद की कुल शेष मात्रा को किसी अमुक दिवस पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि एक ही प्रकृति की मदों को स्टॉक रजिस्टर के एक ही पृष्ठ पर दर्शाकर तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापन करवाकर, प्रत्येक मद की कुल मात्रा की गणना की जाए तथा शेष मात्रा को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाए।

(ग) मूर्ति रजिस्टर तैयार न करना:— मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा मूर्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान नियम 1984 के नियम 6 के प्रावधानों के विरुद्ध है। मूर्ति के अभिलेख का रख-रखाव करना मन्दिर प्रबन्धन की

एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अभिलेख तैयार किए जाएं तथा इन अभिलेखों को सत्यापित करवाकर अनुपालना आगामी अंकेंक्षण में दिखाई जाए।

(घ) मन्दिर प्रबन्धन समिति माता श्री चिन्तपूर्णी द्वारा प्रतिवर्ष लाखों रुपये का बिजली का सामान मेलों तथा विविध कार्यों के लिए क्रय किया जा रहा है, परन्तु क्रय किए गए सामान/उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेख का रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धन समिति द्वारा एक बार भी बदली गई बिजली की मर्दों की निलामी नहीं की गई है, जोकि अनियमित है। अतः क्रय किए गए बिजली के सामान का अभिलेख उचित प्रकार से तैयार किया जाए तथा बिजली के पुराने सामान की शीघ्र निलामी की जाए व अनुपालना आगामी अंकेंक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत की जाए।

(ङ) स्टॉक का वार्षिक सत्यापन न करना

मन्दिर प्रबन्धन समिति के भण्डार रजिस्ट्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेंक्षण समाप्ति तक नहीं किया गया। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार की मर्दों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तत्सम्बन्धी परिणाम से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

39. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त लघु आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

40. **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

पृष्ठानक संख्या:फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)186/96-खण्ड-13-2525-2528 दिनांक:5.5.2016 शिमला-9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत**
- 1 मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास माता चिन्तपूर्णी जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेंक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 जिलाधीश ऊना एवं आयुक्त(मन्दिर), जिला ऊना हिमाचल प्रदेश
 - 3 निदेशक (भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश शिमला-9
 - 4 अवर सचिव (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-09

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12.6.1987 से 31.12.1995

1.	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 5	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
5.	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
6.	पैरा 17	अंशतः निर्णीत
7.	पैरा 19(क)	अनिर्णीत
8.	पैरा 20(क)(1)	अनिर्णीत
9.	पैरा 21	अनिर्णीत
10.	पैरा 23	अनिर्णीत
11.	पैरा 24	अनिर्णीत
12.	पैरा 29(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत
14.	पैरा 30	अनिर्णीत
15.	पैरा 31	अंशतः निर्णीत
16.	पैरा 32	अंशतः निर्णीत
17.	पैरा 33	अनिर्णीत
18.	पैरा 34	अनिर्णीत
19.	पैरा 35	अनिर्णीत
20.	पैरा 38	अनिर्णीत
21.	पैरा 41	अंशतः निर्णीत
22.	पैरा 43	अनिर्णीत
23.	पैरा 44	अनिर्णीत
24.	पैरा 45	अनिर्णीत
25.	पैरा 47	अनिर्णीत
26.	पैरा 48	अनिर्णीत
27.	पैरा 49	अनिर्णीत
28.	पैरा 55	अनिर्णीत

29.	पैरा 56	अनिर्णीत
30.	पैरा 57	अनिर्णीत
31.	पैरा 60	अनिर्णीत
32.	पैरा 61(क)	अनिर्णीत
33.	पैरा 61(ख)	अनिर्णीत
34.	पैरा 61(ग)	अनिर्णीत
35.	पैरा 61(घ)	अनिर्णीत
36.	पैरा 61(ङ)	अनिर्णीत
37.	पैरा 61(च)	अनिर्णीत
38.	पैरा 61(छ)	अनिर्णीत
39.	पैरा 61(ज)	अनिर्णीत
40.	पैरा 61(झ)	अनिर्णीत
41.	पैरा 61(ञ)	अनिर्णीत
42.	पैरा 61(ट)	अनिर्णीत
43.	पैरा 65	अनिर्णीत
44.	पैरा 66	अनिर्णीत
45.	पैरा 67(क, ख, ग)	अनिर्णीत
46.	पैरा 68	अनिर्णीत
47.	पैरा 69	अंशतः निर्णीत
48.	पैरा 70(1)	अनिर्णीत
49.	पैरा 70(2)	अनिर्णीत
50.	पैरा 70(3)	अनिर्णीत
51.	पैरा 70(4)	अनिर्णीत
52.	पैरा 70(5)	अनिर्णीत
53.	पैरा 70(10)	अनिर्णीत
54.	पैरा 70(11)	अनिर्णीत
55.	पैरा 70(12)	अनिर्णीत
56.	पैरा 71(क)(2)	अनिर्णीत
57.	पैरा 71(क)(6)	अनिर्णीत
58.	पैरा 71(ख)(4)	अनिर्णीत
59.	पैरा 73	अनिर्णीत

60.	पैरा 75(ख)	अनिर्णीत
61.	पैरा 75(ख)(4)	अनिर्णीत
62.	पैरा 76(3)	अनिर्णीत
63.	पैरा 76(4)	अंशतः निर्णीत (बिजली तथा पानी की वसूली नियमानुसार अपेक्षित है)
64.	पैरा 77	अनिर्णीत
65.	पैरा 78	अनिर्णीत
66.	पैरा 79(2)	अनिर्णीत
67.	पैरा 79(3)	अनिर्णीत
68.	पैरा 79(4)	अनिर्णीत
69.	पैरा 80(2)	अनिर्णीत
70.	पैरा 82(1)	अनिर्णीत
71.	पैरा 82(3)	अनिर्णीत
72.	पैरा 82(5)	अनिर्णीत
73.	पैरा 82(6)	अनिर्णीत
74.	पैरा 83	अनिर्णीत
75.	पैरा 85(1)	अनिर्णीत
76.	पैरा 85(2)	अनिर्णीत
77.	पैरा 85(3)	अनिर्णीत
78.	पैरा 88(1)	अनिर्णीत
79.	पैरा 88(2)	अनिर्णीत
80.	पैरा 89	अनिर्णीत
81.	पैरा 90	अनिर्णीत
82.	पैरा 92	अनिर्णीत
83.	पैरा 93	अनिर्णीत
84.	पैरा 95	अनिर्णीत
85.	पैरा 96	अनिर्णीत
86.	पैरा 97	अनिर्णीत
87.	पैरा 99(क)	अनिर्णीत
88.	पैरा 99(ग)	अनिर्णीत
89.	पैरा 99(घ)	अनिर्णीत
90.	पैरा 99(च)	अनिर्णीत

91.	पैरा 99(छ)(2)	अनिर्णीत
92.	पैरा 99(ज)	अनिर्णीत
93.	पैरा 99(झ)	अनिर्णीत
94.	पैरा 99(ञ)(1)	अनिर्णीत
95.	पैरा 99(ट)(1)	अनिर्णीत
96.	पैरा 99(ठ)(2)	अनिर्णीत
97.	पैरा 128(क)	अनिर्णीत
98.	पैरा 128(ग)	अनिर्णीत
99.	पैरा 129	अनिर्णीत
100.	पैरा 131	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.1999 से 31.12.1999

1.	पैरा 12	अनिर्णीत
2.	पैरा 15	अनिर्णीत
3.	पैरा 18	अनिर्णीत
4.	पैरा 20	अनिर्णीत
5.	पैरा 22(1)	अनिर्णीत
6.	पैरा 22(2)	अनिर्णीत
7.	पैरा 23	अनिर्णीत
8.	पैरा 24	अनिर्णीत
9.	पैरा 26	अनिर्णीत
10.	पैरा 27(ख)	अंशतः निर्णीत
11.	पैरा 28	अंशतः निर्णीत
12.	पैरा 33(क)	अनिर्णीत
13.	पैरा 34(1)	अनिर्णीत
14.	पैरा 34(2)	अनिर्णीत
15.	पैरा 35	अनिर्णीत
16.	पैरा 36	अनिर्णीत
17.	पैरा 37(ख व ग)	अनिर्णीत
18.	पैरा 38	अनिर्णीत
19.	पैरा 39	अनिर्णीत
20.	पैरा 40	अनिर्णीत

21.	पैरा 42	अनिर्णीत
22.	पैरा 43	अनिर्णीत
23.	पैरा 44	अनिर्णीत
24.	पैरा 46(ख)	अनिर्णीत
25.	पैरा 47	अनिर्णीत
26.	पैरा 48	अनिर्णीत
27.	पैरा 51	अनिर्णीत
28.	पैरा 52	अनिर्णीत
29.	पैरा 54	अनिर्णीत
30.	पैरा 55(ख)	अनिर्णीत
31.	पैरा 55(ग)	अनिर्णीत
32.	पैरा 56(ख)	अनिर्णीत
33.	पैरा 56(ग)	अनिर्णीत
34.	पैरा 61(ग)	अनिर्णीत
35.	पैरा 65(क)	अनिर्णीत
36.	पैरा 65(ख)	अनिर्णीत
37.	पैरा 65(ग)	अनिर्णीत
38.	पैरा 65(घ)	अनिर्णीत
39.	पैरा 65(ङ)	अनिर्णीत
40.	पैरा 65(च)	अनिर्णीत
41.	पैरा 65(छ)	अनिर्णीत
42.	पैरा 65(ज)	अनिर्णीत
43.	पैरा 65(झ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2000 से 31.12.2000

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 8	अनिर्णीत
3.	पैरा 10	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत
5.	पैरा 14(क)	अनिर्णीत
6.	पैरा 17	अनिर्णीत
7.	पैरा 18	अनिर्णीत

8.	पैरा 21(क)	अनिर्णीत
9.	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत
10.	पैरा 27	अनिर्णीत
11.	पैरा 32	अनिर्णीत
12.	पैरा 33	अनिर्णीत
13.	पैरा 34	अनिर्णीत
14.	पैरा 35	अनिर्णीत
15.	पैरा 36	अनिर्णीत
16.	पैरा 38	अनिर्णीत
17.	पैरा 39	अनिर्णीत
18.	पैरा 40	अनिर्णीत
19.	पैरा 43	अनिर्णीत
20.	पैरा 44	अनिर्णीत
21.	पैरा 45	अनिर्णीत
22.	पैरा 46(क)	अनिर्णीत
23.	पैरा 46(ख)	अनिर्णीत
24.	पैरा 48(ख)	अनिर्णीत
25.	पैरा 57(क)	अनिर्णीत
26.	पैरा 60	अनिर्णीत
27.	पैरा 61(ख)	अनिर्णीत
28.	पैरा 62	अनिर्णीत
29.	पैरा 66(क)	अनिर्णीत
30.	पैरा 69(क)	अनिर्णीत
31.	पैरा 69(ख)	अनिर्णीत
32.	पैरा 69(ग)	अनिर्णीत
33.	पैरा 69(घ)	अनिर्णीत
34.	पैरा 69(ङ)	अनिर्णीत
35.	पैरा 69(च)	अनिर्णीत
36.	पैरा 69(छ)	अनिर्णीत
37.	पैरा 69(ज)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2002

1.	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6(ख)	अनिर्णीत
3.	पैरा 6(ग)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(क)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(1)(2)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(1)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
8.	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
9.	पैरा 15	अनिर्णीत
10.	पैरा 19	अनिर्णीत
11.	पैरा 20	अनिर्णीत
12.	पैरा 21	अनिर्णीत
13.	पैरा 22	अनिर्णीत
14.	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
15.	पैरा 25(ग)	अनिर्णीत
16.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत
17.	पैरा 26(ख)	अनिर्णीत
18.	पैरा 26(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 28	अनिर्णीत
20.	पैरा 29(क)	अनिर्णीत
21.	पैरा 29(ख)	अनिर्णीत
22.	पैरा 31	अनिर्णीत
23.	पैरा 32(क)	अनिर्णीत
24.	पैरा 32(ख)	अनिर्णीत
25.	पैरा 34	अनिर्णीत
26.	पैरा 35(ख)	अनिर्णीत
27.	पैरा 36	अनिर्णीत
28.	पैरा 39	अनिर्णीत
29.	पैरा 41	अनिर्णीत
30.	पैरा 43	अनिर्णीत

31.	पैरा 46	अनिर्णीत
32.	पैरा 48	अनिर्णीत
33.	पैरा 49	अनिर्णीत
34.	पैरा 50(क)	अनिर्णीत
35.	पैरा 50(ख)	अनिर्णीत
36.	पैरा 51	अनिर्णीत
37.	पैरा 53	अनिर्णीत
38.	पैरा 55(क)	अनिर्णीत
39.	पैरा 55(ख)	अनिर्णीत
40.	पैरा 55(ग)	अनिर्णीत
41.	पैरा 56	अनिर्णीत
42.	पैरा 57	अनिर्णीत
43.	पैरा 60	अनिर्णीत
44.	पैरा 61(क)	अनिर्णीत
45.	पैरा 61(ख)	अनिर्णीत
46.	पैरा 61(ग)	अनिर्णीत
47.	पैरा 63	अनिर्णीत
48.	पैरा 65	अनिर्णीत
49.	पैरा 66	अनिर्णीत
50.	पैरा 67	अनिर्णीत
51.	पैरा 68(क से घ)	अनिर्णीत
52.	पैरा 70	अनिर्णीत
53.	पैरा 74	अनिर्णीत
54.	पैरा 76	अनिर्णीत
55.	पैरा 77	अनिर्णीत
56.	पैरा 81	अनिर्णीत
57.	पैरा 82	अनिर्णीत
58.	पैरा 83	अनिर्णीत
59.	पैरा 99(1)	अनिर्णीत
60.	पैरा 99(2)	अनिर्णीत
61.	पैरा 100	अनिर्णीत

62.	पैरा 101	अनिर्णीत
63.	पैरा 102	अनिर्णीत
64.	पैरा 103(1)	अनिर्णीत
65.	पैरा 103(2)	अनिर्णीत
66.	पैरा 104	अनिर्णीत
67.	पैरा 105	अनिर्णीत
68.	पैरा 106	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2003 से 31.12.2004

1.	पैरा 14	अनिर्णीत
2.	पैरा 15	अनिर्णीत
3.	पैरा 24(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा 24(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा 24(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा 27(ख)	अनिर्णीत
7.	पैरा 27(ग)	अनिर्णीत
8.	पैरा 29(क, ख, ग)	अनिर्णीत
9.	पैरा 31	अनिर्णीत
10.	पैरा 32	अनिर्णीत
11.	पैरा 33	अनिर्णीत
12.	पैरा 34	अनिर्णीत
13.	पैरा 40(क, ख, ग)	अनिर्णीत
14.	पैरा 42	अनिर्णीत
15.	पैरा 43	अनिर्णीत
16.	पैरा 45(क, ख, ग)	अनिर्णीत
17.	पैरा 47	अनिर्णीत
18.	पैरा 48(ग)	अनिर्णीत
19.	पैरा 50(ख)	अनिर्णीत
20.	पैरा 50(ग)	अनिर्णीत
21.	पैरा 51(क, ख, ग)	अनिर्णीत
22.	पैरा 53(क, ख, ग)	अनिर्णीत
23.	पैरा 57	अनिर्णीत

24.	पैरा 61	अनिर्णीत
25.	पैरा 64	अनिर्णीत
26.	पैरा 66(क)	अनिर्णीत
27.	पैरा 66(ख)	अनिर्णीत
28.	पैरा 67(क)	अनिर्णीत
29.	पैरा 67(ख)	अनिर्णीत
30.	पैरा 68(क, ख, ग)	अनिर्णीत
31.	पैरा 69(क, ख, ग)	अनिर्णीत
32.	पैरा 70(क)(ख)	अनिर्णीत
33.	पैरा 72(क)(ख)	अनिर्णीत
34.	पैरा 73(क)(ख)	अनिर्णीत
35.	पैरा 74(क)(ख)	अनिर्णीत
36.	पैरा 75(ख)	अनिर्णीत
37.	पैरा 75(ग)	अनिर्णीत
38.	पैरा 75(घ)	अनिर्णीत
39.	पैरा 75(ङ)	अनिर्णीत
40.	पैरा 80(क)(ख)	अनिर्णीत
41.	पैरा 81(1)	अनिर्णीत
42.	पैरा 81(4)	अनिर्णीत
43.	पैरा 81(5)	अनिर्णीत
44.	पैरा 81(6)	अनिर्णीत
45.	पैरा 81(7)	अनिर्णीत
46.	पैरा 81(8)	अनिर्णीत
47.	पैरा 81(9)	अनिर्णीत
48.	पैरा 81(10)	अनिर्णीत
49.	पैरा 81(11)	अनिर्णीत
50.	पैरा 81(12)	अनिर्णीत
51.	पैरा 81(13)	अनिर्णीत
52.	पैरा 81(14)	अनिर्णीत
53.	पैरा 81(15)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2005 से 31.12.2005

1	पैरा 7(ग)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत
3.	पैरा 10	अनिर्णीत
4.	पैरा 18	अनिर्णीत
5.	पैरा 21	अनिर्णीत
6.	पैरा 22	अनिर्णीत
7.	पैरा 24(क)(1)	अनिर्णीत
8.	पैरा 24(क)(2)	अनिर्णीत
9.	पैरा 24(ग)	अनिर्णीत
10.	पैरा 25	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2006 से 31.12.2006

1	पैरा 3(1)(च) 2(घ)	अनिर्णीत
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(1)	अंशतःनिर्णीत (क्रम संख्या: 1 के अतिरिक्त समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर ली गई है)
5.	पैरा 8(2)	अनिर्णीत
6.	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
7.	पैरा 10(1)	अनिर्णीत
8.	पैरा 10(2)	अनिर्णीत
9.	पैरा 10(3)	अनिर्णीत
10.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
11.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
12.	पैरा 15(2)	अनिर्णीत
13.	पैरा 16(1)	अनिर्णीत
14.	पैरा 16(2)	अनिर्णीत
15.	पैरा 17(3)	अनिर्णीत
16.	पैरा 17(4)(1)	अनिर्णीत
17.	पैरा 17(5)	अनिर्णीत

18.	पैरा 17(6)	अनिर्णीत
19.	पैरा 18	अनिर्णीत
20.	पैरा 19	अनिर्णीत
21.	पैरा 20	अनिर्णीत
22.	पैरा 21	अनिर्णीत
23.	पैरा 23	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2007 से 31.12.2008

1.	पैरा 5	अंशतःनिर्णीत (पृष्ठांकन संख्या फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)187 / 86—खण्ड—ix, दिनांक 21.7.2010 द्वारा क्र0सं0 2 तथा 6 के सन्दर्भ में समायोजित/वसूली वांछित है)
2.	पैरा 6	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(क)(1)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(क)(2)	अनिर्णीत
5.	पैरा 7(क)(3)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(क)(4)	अनिर्णीत
7.	पैरा 7(क)(5)	अनिर्णीत
8.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत
9.	पैरा 8	अनिर्णीत
10.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत
11.	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत
12.	पैरा 9(घ)	अनिर्णीत
13.	पैरा 9(ङ)	अनिर्णीत
14.	पैरा 9(च)	अनिर्णीत
15.	पैरा 9(छ)	अनिर्णीत
16.	पैरा 9(ज)	अनिर्णीत
17.	पैरा 10(क)	अनिर्णीत
18.	पैरा 10(ख)	अनिर्णीत
19.	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
20.	पैरा 11	अनिर्णीत
21.	पैरा 13	अनिर्णीत
22.	पैरा 14	अनिर्णीत

23.	पैरा 15	अनिर्णीत
24.	पैरा 16(क)	अनिर्णीत
25.	पैरा 16(ख)	अनिर्णीत
26.	पैरा 17	अनिर्णीत
27.	पैरा 18(1)	अनिर्णीत
28.	पैरा 18(2)	अनिर्णीत
29.	पैरा 18(3)	अनिर्णीत
30.	पैरा 18(4)	अनिर्णीत
31.	पैरा 18(5)	अनिर्णीत
32.	पैरा 18(6)	अनिर्णीत
33.	पैरा 18(7)	अनिर्णीत
34.	पैरा 19	अनिर्णीत
35.	पैरा 20	अनिर्णीत
36.	पैरा 21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2009 से 31.12.2009

1.	पैरा 6(i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
2.	पैरा 7(i, ii, iii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
3.	पैरा 8(क)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 8(ख)(i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	
5.	पैरा 9	अनिर्णीत	
6.	पैरा 10(क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 11	अनिर्णीत	
8.	पैरा 12	अनिर्णीत	
9.	पैरा 13	अनिर्णीत	
10.	पैरा 14(क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
11.	पैरा 14(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548

/ 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)

- | | | | |
|-----|---------------------|----------|--|
| 12. | पैरा 14(ग,घ,ङ,च,छ) | अनिर्णीत | |
| 13. | पैरा 15(i, ii, iii) | अनिर्णीत | |
| 14. | पैरा 16(i, ii, iii) | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 15. | पैरा 17(i, ii) | अनिर्णीत | |
| 16. | पैरा 18 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 17. | पैरा 19 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 18. | पैरा 20(i, ii) | अनिर्णीत | |
| 19. | पैरा 21 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 20. | पैरा 22 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 21. | पैरा 23 | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 22. | पैरा 24(क) | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 23. | पैरा 24(ख से घ) | निर्णीत | (अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा) |
| 24. | पैरा 25 | अनिर्णीत | |

25.	पैरा 26(क)	अनिर्णीत	
26.	पैरा 26(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
27.	पैरा 26(ग)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
28.	पैरा 26(घ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
29.	पैरा 26(ङ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
30.	पैरा 26(च)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
31.	पैरा 26(छ)(i)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
32.	पैरा 26(छ)(ii)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
33.	पैरा 26(ज)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
34.	पैरा 26	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
35.	पैरा 27	अनिर्णीत	
36.	पैरा 28(क)(i)	निर्णीत	(₹11,421 की वसूली रसीद संख्या 335/60, दिनांक 14.3.2013 के द्वारा कर ली गई है।)

37.	पैरा 28(क)(ii)	अनिर्णीत	
38.	पैरा 28(ख)	अनिर्णीत	
39.	पैरा 28(ग)(i, ii)	अनिर्णीत	
40.	पैरा 29	अनिर्णीत	
41.	पैरा 30	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
42.	पैरा 31	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
43.	पैरा 32	अनिर्णीत	
44.	पैरा 33(क,ख)	अनिर्णीत	
45.	पैरा 34(1,2,3)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
46.	पैरा 34(4,5)	अनिर्णीत	
47.	पैरा 35(क,ख)	अनिर्णीत	
48.	पैरा 36	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
49.	पैरा 37	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
50.	पैरा 38	अनिर्णीत	
51.	पैरा 39	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
52.	पैरा 40	अनिर्णीत	
53.	पैरा 41	अनिर्णीत	
54.	पैरा 43	अनिर्णीत	

55.	पैरा 44	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक, महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1 दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
56.	पैरा 45	अनिर्णीत	
(झ) अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2010 से 31.12.2012			
1.	पैरा 3	निर्णीत	(अंकक्षण शुल्क की राशि भेज दी गई है)
2.	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 में दर्शा दी गई है)
3.	पैरा 5(क,ख)	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6(i, ii, iii)	निर्णीत	
5.	पैरा 7(क)	निर्णीत	(सोने की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के पैरा संख्या 9(क) में दर्शा दी गई है)
6.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 7(ग)	निर्णीत	(चांदी की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकक्षण प्रतिवेदन की अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के पैरा संख्या 9(ग) में दर्शा दी गई है)
8.	पैरा 7(घ)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 8	अनिर्णीत	
10.	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
11.	पैरा 9(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
12.	पैरा 9(ग)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 9(घ)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
14.	पैरा 9(ङ)	अनिर्णीत	
15.	पैरा (च)	अनिर्णीत	
16.	पैरा 10(i, ii, iii, iv)	अनिर्णीत	

17. पैरा 11(i, ii) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
18. पैरा 11(iii) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
19. पैरा 12(क) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
20. पैरा 12(ख) अंशतःनिर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा तथा ₹28,442 -(₹98493-70051) की वसूली लम्बित है।)
21. पैरा 12(ग)(i)(ii) अनिर्णीत
22. पैरा 12(घ) अनिर्णीत
23. पैरा 13(क,ख,ग,घ,ङ,च) अनिर्णीत
24. पैरा 14 अंशतःनिर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा निम्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना वांछित है)

दिनांक	विभाग का नाम	विवरण	राशि
5-10-10	AEEHPSEB Bharwain	Revised estimate for provision 30 No. street light points in vill. moin from existing 1000 kva 11/4 KV/Stn Rehi-II under ESD Bharwain	2,92,940
29.5.12	SDO HPSEB Bharwain	Estimate replacement under ground cable with over head cable and	5,58,670

steel tubuler for 8
mtrs long for street
light in Chintpurni
bazaar under E&D
bherwain

Total 8,51,610

25.	पैरा 15	अनिर्णीत	
26.	पैरा 16	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
27.	पैरा 17	अनिर्णीत	
28.	पैरा 18	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
29.	पैरा 19(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
30.	पैरा 20	अनिर्णीत	
31.	पैरा 21(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत	
32.	पैरा 22	अनिर्णीत	
33.	पैरा 23(क,ख)	अनिर्णीत	
34.	पैरा 24	निर्णीत	(रसीद संख्या 335/61, दिनांक 14.3.2013 के द्वारा ₹976 की वसूली कर ली गई है)
35.	पैरा 25	अनिर्णीत	
36.	पैरा 26	निर्णीत	(वांछित कार्रवाई गत अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है)
37.	पैरा 27(क,ख,ग,घ,ङ,च,छ)	अनिर्णीत	
38.	पैरा 28	निर्णीत	(वांछित कार्रवाई गत अंकेक्षण के दौरान कर दी गई है)
39.	पैरा 29	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
40.	पैरा 30	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
41.	पैरा 31	अनिर्णीत	

42.	पैरा 32	अनिर्णीत	
43.	पैरा 33	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
44.	पैरा 34	अनिर्णीत	
45.	पैरा 35(क,ख,ग)	अनिर्णीत	
46.	पैरा 36(क)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
47.	पैरा 36(ख)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
48.	पैरा 37	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
49.	पैरा 38	अनिर्णीत	
50.	पैरा 39	अनिर्णीत	
51.	पैरा 40	अनिर्णीत	
52.	पैरा 41(क,ख)	अनिर्णीत	
53.	पैरा 41(ग)	निर्णीत	(अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)
54.	पैरा 41(घ)(i, ii, iii)	अनिर्णीत	
55.	पैरा 41(ङ)(i, ii, iii)	अनिर्णीत	
56.	पैरा 41(च,छ,ज,झ,ञ)	अनिर्णीत	
57.	पैरा 42	अनिर्णीत	
58.	पैरा 43	अनिर्णीत	
59.	पैरा 44	निर्णीत	(न्यायालयों में दायर मामलों की सूची वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.1.2013 से 31.12.2014 के परिशिष्ट(v) के पैरा संख्या 40 में दर्शाई गई)

60. पैरा 45(क,ख,ग,घ,ङ,च) अनिर्णीत

61. पैरा 45(छ) निर्णीत (अतिरिक्त निदेशक महोदय के पत्र संख्या 1-548 / 2011-फिन(एल0ए0)खण्ड-1, दिनांक 9.11.2015 के द्वारा)

अनिर्णीत पैरों का सार	
प्रारम्भिक शेष	486
वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदनों में प्रारूपित पैरों की संख्या	36
कुल योग	522
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरों की संख्या	52
	470